

वार्षिक रिपोर्ट 1998-99

कृ.वै.नि.सं.
वार्षिक रिपोर्ट
1998-99

कृषि वैज्ञानिक नियुक्ति मंडल
नई दिल्ली-110012

वार्षिक रिपोर्ट 1998-99

कृषि वैज्ञानिक नियुक्ति मंडल

1 अप्रैल, 1998 से 31 मार्च, 1999

प्राक्कथन

कृषि वैज्ञानिक नियुक्ति मंडल की वार्षिक रिपोर्ट में वर्ष 1998-99 के दौरान हुए कार्य कलापों का ब्यौरा प्रस्तुत किया गया है ।

राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रणाली, जिसमें भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थानों के अतिरिक्त राज्य कृषि विश्वविद्यालय भी सम्मिलित हैं, की कार्य कुशलता इनमें कार्यरत वैज्ञानिकों तथा अध्यापकों के स्तर पर निर्भर है, इसलिए मंडल का यह सतत् प्रयास रहा है कि पारदर्शी, निष्पक्ष व उद्देश्यपूरक परीक्षा प्रणाली के द्वारा उच्चतम योग्यता वाले वैज्ञानिकों का चुनाव हो । परिषद के सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति हेतु राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा में मण्डल उच्चतम स्तर के निर्वाह का सतत् प्रयास करता है । उपलब्ध श्रेष्ठतम प्रतिभाओं की खोज के उद्देश्य से प्रणाली, प्रक्रिया व पद्धति की समय-समय पर समीक्षा की गई ।

वर्ष के दौरान मंडल द्वारा चयन विधि में विभिन्न बदलाव लाने के विशेष प्रयास किये गये हैं । परिणामस्वरूप बहुत ही कम समय में एक बड़ी संख्या में विभिन्न मामलों का निपटारा किया जा सका लेकिन इसके लिए बोर्ड को अनेक बाधाओं के तहत कार्य करना पड़ा । जिसका विवरण अध्याय-9 में दिया गया है । बोर्ड की सलाह है कि परिषद इन मुद्दों पर गौर करें ताकि सम्पूर्ण पद्धति में और भी सुधार लाया जा सके ।

विषय- सूची

पृष्ठ

1. भूमिका
2. चयन परीक्षा से भर्ती
3. साक्षात्कार द्वारा भर्ती
4. भर्ती और सेवा नियमावली
5. परीक्षाओं में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ी जाति के परीक्षार्थियों का प्रदर्शन
6. मूल्यांकन, मूल्यांकन की समीक्षा और कृषि अनुसंधान सेवा में प्रवेश
7. वैज्ञानिक और तकनीकी कर्मचारियों का कैरियर विकास
8. हिन्दी का प्रयोग
9. बाधाएँ और सुझाव
10. परिशिष्ट

अध्याय-1

प्रस्तावना एवं कार्यकलाप

- 1.1 कृषि वैज्ञानिक नियुक्ति मंडल की स्थापना 1 नवम्बर, 1973 को एक स्वतंत्र नियुक्ति संस्थान के रूप में भा.कृ.अ.प. सोसायटी के अध्यक्ष द्वारा की गई थी। मंडल का दायित्व विभिन्न स्तर के वैज्ञानिकों की भर्ती प्रतियोगी परीक्षाओं और सीधी नियुक्ति द्वारा करना है। मंत्रालय के निर्णय के अनुसार, मंडल को निम्न दायित्व सौंपे गए :
- (i) समय समय पर अध्यक्ष, भा.कृ.अ.प. द्वारा उल्लिखित भा.कृ.अ.प. की कृषि अनुसंधान सेवा के विभिन्न पदों तथा इसी प्रकार के अन्य पदों व सेवाओं के लिए भर्ती का दायित्व।
 - (ii) प्रोन्नति सहित अन्य वैयक्तिक मामलों, जैसाकि भा.कृ.अ.प. के अध्यक्ष को आवश्यकता होगी, में भी मंडल परिषद को आवश्यक सहायता प्रदान करेगा, और
 - (iii) परिषद द्वारा अथवा मंडल की सलाह से नियुक्ति कर्मियों से संबंधित अनुशासनात्मक कार्रवाई के मामलों में उचित परामर्श देना।
- 1.1.1 बाद में जब कृषि अनुसंधान सेवा को अखिल भारत सेवा का दर्जा दिया गया तो मंडल को निम्न अतिरिक्त दायित्व सौंपे गए :
- (i) ग्रेड एस"1 (2200-4000) स्तर के कृषि अनुसंधान सेवा के पदों पर नियुक्ति के लिए अखिल भारतीय प्रतियोगी परीक्षा के आयोजन की जिम्मेदारी।
 - (ii) भा.कृ.अ.प. के विद्यमान वैज्ञानिकों को कृषि अनुसंधान सेवा में कृषि अनुसंधान सेवा के नियमों के अनुसार समावेशन।
 - (iii) कृषि अनुसंधान सेवा के वैज्ञानिकों के मेरिट प्रमोशन और अग्रिम वेतनवृद्धि के लिए पंचवर्षीय मूल्यांकन। मेरिट प्रमोशन मूल्यांकन के आधार पर नए उच्च ग्रेड में जिन वैज्ञानिकों को प्रोन्नत नहीं किया गया हो उनके लिए प्रति वर्ष मूल्यांकन की व्यवस्था।
- (4) कृ. अनु. से. में प्रवेश संबंधित अन्य मामले जो भा.कृ.अ.प. द्वारा मंडल के समक्ष प्रस्तुत किए जाएं।
- 1.1.2 इनके अलावा कृ.वै.नि. मंडल के जरिये ही तकनीकी सेवा से संबंधित उच्च स्तर के पदों, प्रशासनिक पदों तथा लेख विभाग के विभिन्न पदों जैसे अनुभाग/सहायक, प्रशासनिक अधिकारी, वित्त एवं लेखा अधिकारियों आदि की नियुक्ति की जाती है। ये भर्ती सीधे चयन अथवा समिति प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से ही की जाती है। मंडल के दायित्वों और जिम्मेदारियों का ब्यौरा भा.कृ.अ.प. सोसायटी के नियमावली के परिशिष्ट -1 में निहित है।

1.1.3 मण्डल राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा का भी आयोजन करता है जिसके आधार पर राज्य कृषि विश्वविद्यालयों में सहायता प्राध्यापक/व्याख्याता पदों पर आरंभिक नियुक्तियां की जाती हैं। इसके अलावा परिषद को वरिष्ठ अनुसंधानवृत्ति प्रदान करने हेतु चयन परीक्षा का आयोजन मंडल द्वारा ही किया जाता है।

संगठन एवं कर्मचारीगण

1.2 दिनांक 31 मार्च, 1999 को मण्डल में एक अध्यक्ष और एक ही सदस्य थे, जबकि इसमें एक अध्यक्ष और दो सदस्यों का प्रावधान है। इससे संबंधित विवरण परिशिष्ट II में दिया गया है।

1.2.1 मण्डल के कार्यालय में कर्मचारियों और अधिकारियों की स्वीकृत संख्या 31 मार्च, 1999 को 62 थी जिसमें से 12 समूह "ए" और समूह "बी" वर्ग में थे। यानी अनुभाग अधिकारी पद से ऊपर के पद और शेष समूह "सी" और "डी" वर्ग के कर्मचारी थे।/ इससे संबंधित ब्यौरा परिशिष्ट II(क) में दिया गया है। सभी स्तरों पर कर्मचारियों की संख्या में कमी की वजह से वर्ष भर मंडल का कार्यकलाप सुचारु रूप से नहीं चल पाया। इससे संबंधित विवरण परिशिष्ट-II(ख) में दिया गया है।

व्यय

1.3 वर्ष के दौरान मंडल ने 305.52 लाख रु0 विभिन्न मदों पर खर्च किए। इससे संबंधित विवरण परिशिष्ट -III में दिया गया है।

कार्यभार

1. 4 रिपोर्ट में मंडल द्वारा किए गए विभिन्न कार्यकलापों का विस्तृत विवरण दिया गया है। गत पांच वर्ष के दौरान मंडल द्वारा किए गए कार्यों के बारे में परिशिष्ट -IV में जानकारी दी गई है।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान मंडल द्वारा सम्पन्न विभिन्न कार्यकलापों का ब्यौदा नीचे दिया गया है :

	1998-99
1. चयन परीक्षा द्वारा भर्ती	
i. आयोजित की गई चयन परीक्षाओं की संख्या	2*
ii. प्राप्त आवेदनों की संख्या	71083**
iii. परीक्षा में शामिल आवेदकों की संख्या	296308****

iv.	साक्षात्कार के लिए आयोजित की गई बोर्ड की बैठकें	69*
v.	एस आर एस के लिए संस्तुत आवेदकों की संख्या	105
vi.	ए आर एफ के लिए संस्तुत आवेदकों की संख्या	168
II.	साक्षात्कार के आधार पर भर्ती	
i.	गत वर्ष से लम्बित विभिन्न पदों के लिए भर्ती के मामले	302
ii.	रिक्त पदों की संख्या, जिनके लिए मांग की गई	283
iii.	प्राप्त आवेदनों की संख्या	2550
iv.	पदों की संख्या जिनके संदर्भ में कार्यवाही पूरी की गई	213
v.	साक्षात्कार में शामिल आवेदकों की संख्या	1161
vi.	संस्तुत सफल प्रत्याशियों की संख्या	198
vii.	ऐसे मामले जिनमें नियुक्ति के लिए उपयुक्त प्रत्याशी नहीं पाए गए	11
viii.	ऐसे मामले जिनमें स्क्रीनिंग स्तर पर उपयुक्त प्रत्याशी नहीं पाए गए	7
ix.	ऐसे मामले जिनमें प्रत्याशी साक्षात्कार में उपस्थित नहीं हुए	5
x.	ऐसे मामले जिनमें किसी भी प्रत्याशी ने पद के लिए आवेदन नहीं किया	1
xi.	ऐसे मामले जहां विज्ञापित होने के बाद भा.कृ.अ.प. द्वारा पद वापिस ले लिया गया हो ।	8

-
- * 1. ए आर एस/एन ई टी/एस आर एफ-98
2. अवर श्रेणी लिपिक
- ** 1. ए आर एस/एन ई टी/एस आर एफ-12048
2. अवर श्रेणी लिपिक-58935
- *** 1. ए आर एस/एन ई टी/ एस आर एफ-4091
2. अवर श्रेणी लिपिक-28847
- \$ विवरण परिशिष्ट IV(क) पर दिया गया है ।

III.	भर्ती नियम	
i)	मामलों की संख्या जिन पर कार्यवाही की गई	21
IV.	विभागीय प्रोन्नति समिति (डी पी सी)/मूल्यांकन समिति हेतु नामांकन	
i)	वैज्ञानिकों के कैरियर विकास के लिए गठित विभागीय प्रोन्नति समिति के सदस्यों का मंडल द्वारा नामांकन के मामले	76
ii)	तकनीकी कर्मचारियों के कैरियर विकास के लिए गठित मूल्यांकन समितियों में मंडल द्वारा नामित सदस्यों की संख्या के मामले	468
v)	अनुशासनात्मक मामले	
i)	ऐसे मामलों की संख्या जिनका निपटान किया गया	"शून्य"
VI.	वैज्ञानिक पदों पर अस्थाई नियुक्तियां	
i)	नियम 1 (15) के तहत परिषद से प्राप्त मामलों की संख्या अथवा कृषि अनुसंधान सेवा नियमावली के अंतर्गत नियम 15 (5) के मामले	"शून्य"
VI(क).	अनुसंधान सेवा नियमावली के नियम 11(4) के तहत प्रतिनियुक्ति आधार पर वैज्ञानिकों की अस्थाई नियुक्ति	
i)	परिषद से प्राप्त मामलों की संख्या	-
ii)	निपटान किए गए मामलों की संख्या	-
VII.	प्रोन्नति, चयन, भर्ती तथा अन्य संबंधित मामलों के लिए बनाई जाने वाली समितियों, मंडलों तथा अन्य निकायों का संगठन	
i)	निपटान किए गए मामलों की संख्या	"शून्य"
VIII.	प्रख्यात वैज्ञानिकों की नियुक्ति	
i)	वर्ष के दौरान चयन समिति की बैठकें	"शून्य"

IX. नियुक्ति प्रस्ताव में देरी

- 15 मंडल द्वारा संस्तुत सफल प्रत्याशियों की नियुक्ति के क्रियान्वयन की प्रक्रिया में परिषद द्वारा विलम्ब किया गया । इन विलम्ब से संबंधित मामलों का ब्यौरा इस रिपोर्ट के परिशिष्ट V में दिया गया है ।
-

* नियम 26 (सी) के प्रावधान के बावजूद मंडल को परिषद की ओर से सलाह के लिए ऐसा कोई भी मामला नहीं सौंपा गया ।

** मंडल को उप नियम 24 की शर्तों के लिए सलाह को कोई भी मामला परिषद से प्राप्त नहीं हुआ ।

परिषद से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ ।

अध्याय-॥

चयन परीक्षा से भर्ती

वर्ष 1998-99 के दौरान आयोजित परीक्षाएं

- 2.1 नियुक्ति मंडल के वैज्ञानिक ग्रेड की भर्ती के लिए कृषि अनुसंधान सेवा, राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा का संयुक्त रूप से आयोजन किया । इसी परीक्षा के आधार पर ही कृषि विश्वविद्यालयों में सहायक प्राध्यापक/व्याख्याता के पद पर नियुक्ति की जाती है और परिषद की वरिष्ठ अनुसंधानवृत्ति दी जाती है । परिषद मुख्यालय में अवर श्रेणी लिपिकों की भर्ती के लिए भी परीक्षा आयोजित की गई ।
- 2.1.1 कृषि अनुसंधान सेवा/राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा/वरिष्ठ अनुसंधानवृत्ति की संयुक्त परीक्षा में प्रवेश के लिए गत वर्ष 7925 की तुलना में इस वर्ष 12048 आवेदन पत्र प्राप्त हुए ।
- 2.2 इस वर्ष आयोजित विभिन्न परीक्षाओं की प्रमुख विशेषताएं 2.2.5 से 2.2.9 अनुच्छेद में दी गई हैं ।

कृषि अनुसंधान सेवा/राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा/वरिष्ठ अनुसंधानवृत्ति परीक्षा 1997 का आयोजन

- 2.2.1 मंडल ने अक्टूबर, 1997 में ली गई कृषि अनुसंधान सेवा परीक्षा के आधार पर वैज्ञानिकों की भर्ती हेतु अगस्त, 1998 सफल प्रत्याशियों की मौखिक परीक्षा के बाद सिफारिशें परिषद को भेज दी थी । 105 संस्तुत प्रत्याशियों में से 24 अनुसूचित जाती, 4 अनुसूचित जनजाती और 39 अन्य पिछड़ी जातियों से संबंधित हैं ।
- 2.2.2 7920 आवेदकों (जिनमें 433 अनुसूचित जाती, 77 अनुसूचित जनजाति एवं 1072 अन्य पिछड़ी जातियों के हैं) में से 4128 लिखित परीक्षा में शामिल हुए । 348 प्रत्याशी लिखित परीक्षा में पास हुए और साक्षात्कार परीक्षा में सफल 105 उम्मीदवारों की वैज्ञानिकों के पद पर नियुक्ति की सिफारिश की गई । विस्तृत जानकारी इस प्रकार है ।

	सामान्य	अनु. सू. जा.	अनु. जन जाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	कुल
क) आवेदन करने वाले उम्मीदवार	4988	852	168	1912	7920
ख) परीक्षा में शामिल उम्मीदवार	2546	433	77	1072	4128
ग) लिखित परीक्षा में सफल घोषित उम्मीदवार जिन्हें साक्षात्कार के लिए बुलाया गया	343	94	12	172	621
घ) कृ.अनु.से. में अंततः भर्ती उम्मीदवार विषयगत सूची परिशिष्ट VI में दी गई है ।	38	24	4	39	105

2.2.3 संयुक्त परीक्षा के आधार पर राज्य कृषि विश्वविद्यालयों में सहायक प्राध्यापक/व्याख्याता के पद पर भर्ती के लिए राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा में 1762 उम्मीदवारों को सफल घोषित किया गया, विस्तृत जानकारी इस प्रकार है।

सामान्य	अनु. जाति	अनु. जनजाति	अन्य पिछड़ी जाति	कुल
1026	233	35	468	1762

सफल विद्यार्थियों की सूची कृषि विश्वविद्यालयों को भेज दी गई है और "रोजगार समाचार" में यह परिणाम घोषित किए गए हैं। इसका विस्तृत विवरण सारणी-7 में दिया गया है।

2.2.4 संयुक्त परीक्षा के आधार पर वरिष्ठ अनुसंधानवृत्ति पुरस्कार की संस्तुति परिषद को सितम्बर, 1998 में भेज दी गई थी। मंडल द्वारा फेलोशिप के लिए संस्तुत 178 प्रत्याशियों में से 22 अनुसूचित जाती और 4 अनुसूचित जनजाति के थे।

कृषि अनुसंधान सेवा/राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा/वरिष्ठ अनुसंधानवृत्ति परीक्षा 1998 का आयोजन

2.2.5 मंडल प्रतिवर्ष अक्टूबर माह में कृ.अनु. से. /रा.पा.परीक्षा/वरिष्ठ अनुसंधानवृत्ति परीक्षा का आयोजन करता है और इसकी अधिसूचना अप्रैल माह तक जारी कर दी गई थी। अधिसूचना 9 अगस्त, 1998 के "रोजगार समाचार" में प्रकाशित हुई थी। आवेदन की अंतिम तिथि 14/28 सितम्बर निर्धारित की गई थी तथा 27-29 दिसम्बर, 1998 को परीक्षा आयोजित की गई।

2.2.6 12048 उम्मीदवारों में से 679 उम्मीदवारों ने हिन्दी माध्यम से लिखित परीक्षा के उत्तर दिए।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद मुख्यालय में अवर श्रेणी लिपिकों की नियुक्ति हेतु खुली प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन

2.2.7 परिषद मुख्यालय के अवर श्रेणी लिपिकों के 85 पदों पर भर्ती के लिए मंडल द्वारा दिनांक 1.11.98 को दिल्ली में 166 केन्द्रों पर खुली प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन किया गया।

2.2.8 58935 आवेदकों में से केवल 25547 उम्मीदवार लिखित परीक्षा में शामिल हुए।

सुझाव

2.2.9 भा.कृ.अ.प. सोसायटी के नियमों और उपनियमों में निहित नियम 26 (ए) के अनुसार मंडल का दायित्व कृषि अनुसंधान सेवा तथा अन्य संबंधित पदों के लिए नियुक्तियां करना है जैसाकि अध्यक्ष द्वारा समय समय पर उल्लेख किया जाए । मंडल राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा का भी आयोजन करता है जिसके आधार पर राज्य कृषि विश्वविद्यालयों में सहायक प्राध्यापक/व्याख्याता पदों पर नियुक्तियां की जाती हैं । इसके अलावा परिषद की वरिष्ठ अनुसंधानवृत्ति हेतु चयन परीक्षा का आयोजन मंडल द्वारा ही किया जाता है । इन परीक्षाओं का समय के साथ कृषि अनुसंधान सेवा में समावेशन कर लिया गया है । इसी प्रकार मंडल से आग्रह किया गया कि प्रशासनिक अधिकारियों, वित्त एवं लेखा अधिकारियों की संयुक्त कैडर पदों पर भर्ती के लिए संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन भी समय समय पर करें । चूंकि इन परीक्षाओं की कोई निश्चित अवधि नहीं होती (वार्षिक, द्विवार्षिक, त्रिवार्षिक आदि) इसीलिए मंडल प्रत्येक वर्ष अक्टूबर माह में होने वाली ए आर एस /राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा/वरिष्ठ अनुसंधानवृत्ति परीक्षाओं के अलावा इन परीक्षाओं पर आधारित कोई वार्षिक कैलेंडर तैयार नहीं कर पाया है । (परिशिष्ट VIII) मंडल ने को सभी संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों जैसे लिखित परीक्षाओं की निश्चित अवधि सफल प्रत्याशियों का साक्षात्कार, सूची के आधार पर साक्षात्कार द्वारा पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी करने की आवश्यकता तथा निश्चित समयावधि में साक्षात्कार के मामले निपटाना आदि के लिए अपना वार्षिक कार्यक्रम तैयार करना होगा । परिषद से आग्रह किया है कि वह इन खुली और सीमित विभागीय परीक्षाओं के आयोजन की निश्चित अवधि अपने भविष्य के कर्मचारियों की आवश्यकता को देखते हुए तय करें । ऐसे में निर्धारित चयन परीक्षा कार्यक्रम के अलावा अतिरिक्त परीक्षाएं आयोजित करने के आग्रह से मंडल की अन्य सभी गतिविधियों और कार्यक्रमों पर प्रभाव पड़ता है । इसके बारे में वार्षिक रिपोर्ट में भी लिखा गया था, लेकिन परिस्थितियों में कोई बदलाव नहीं आया है ।

2.2.10 मंडल के अनुसार परिषद के संस्थानों में सहायकों (सीधी भर्ती कोटा) की भर्ती के मामले में परिषद की वैयक्तिक नीति के मामले में सुसंगत और एक समान नीति का अनुसरण करना चाहिए, विशेष रूप से उन मामलों में जिनमें परिषद द्वारा रिक्तियों की अधिसूचना वर्ष 1982 और 1985 की परीक्षा के दौरान जारी की गई थी लेकिन इस आशय की अधिसूचना बाद की परीक्षाओं यानि 1989 और 1995 के दौरान जारी नहीं की गई । यह पता नहीं चला है कि संस्थानों में ये पद किस प्रकार भरे गए हैं । मंडल को प्रायः एक या दो संस्थानों से सहायक के पदों पर सीधी भर्ती के लिए परीक्षाएं आयोजित करने के लिए मांग प्राप्त होती रहती है और इस प्रकार के अनुरोध परिषद के पास सम्पूर्ण समीक्षा के लिए भेज दिए जाते हैं लेकिन परिषद से इस संबंध में कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है ।

2.2.11 मंडल ने खुली परीक्षाओं के माध्यम से भर्ती किए गए प्रत्याशियों के उपयुक्त प्रशिक्षण की आवश्यकता पर बार-बार जोर दिया है । कृषि अनुसंधान सेवा के नवनियुक्त प्रत्याशियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था नार्म में आयोजित की जाती है लेकिन प्रशासनिक अधिकारी, वित्त एवं लेखा अधिकारी, अनुभाग अधिकारियों, सहायकों आदि के लिए आयोजित संयुक्त चयन परीक्षा के सफल अधिकारियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था नहीं है । इन परीक्षाओं से संबंधित संस्तुतियों के साथ मंडल ने बार बार प्रशिक्षण की आवश्यकता पर बल दिया है लेकिन परिषद की ओर से इस बारे में किसी प्रकार की कार्यवाही की सूचना अभी तक मंडल को नहीं भेजी गई । मंडल को प्राप्त जानकारी के अनुसार 1986 सत्र के प्रशासनिक अधिकारियों और वित्त एवं लेखा अधिकारी पद के अधिकारियों को 1992 में 3 सप्ताह का प्रशिक्षण उपलब्ध कराया गया जबकि 1994 सत्र के अधिकारियों को 1997 में 3 सप्ताह का प्रशिक्षण दिया गया । मंडल को ऐसा प्रतीत होता है कि भर्ती के 3 से 5 वर्षों की लंबी अवधि के बाद इतने कम समय के प्रशिक्षण से कोई लाभ नहीं है क्योंकि इस सेवाकाल के दौरान नवनियुक्त अधिकारी सीखने में काफी समय लगा चुका होता है । अनुभाग अधिकारी/सहायकों के मामलों में व्यावहारिक रूप से किसी भी प्रकार के संस्थागत प्रशिक्षण के आयोजन की व्यवस्था नहीं है । मंडल की सलाह है कि परिषद को अधिकारियों एवं कर्मचारियों के प्रशिक्षण के महत्व को समझना चाहिए और प्रशिक्षण की व्यवस्था उपलब्ध करानी चाहिए । इसके बारे में वार्षिक रिपोर्ट 1997-98 में लिखा गया था लेकिन परिषद से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है ।

अध्याय - III

साक्षात्कार द्वारा भर्ती

3.1 बोर्ड ने वर्ष के दौरान 283 पद भरने के लिए मांग पत्र प्राप्त किए जबकि 302 पद पिछले वर्ष के भी थे । कुल 585 पदों में से 213 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया सम्पन्न की गई । 8 पदों को भरने का मांग पत्र परिषद ने वापिस ले लिया सात मामलों में स्क्रीनिंग स्तर पर कोई भी प्रत्याशी योग्य नहीं पाया गया । पांच मामलों में कोई प्रत्याशी साक्षात्कार के लिए नहीं आया । वर्ष के अंत में शेष 364 पदों में से 61 पदों का मांग पत्र वर्ष के आखिरी तिमाही में प्राप्त हुआ ।

3.1.1 बोर्ड ने वर्ष के दौरान निम्न विज्ञापन निकाले :

क्र.सं०	विज्ञापन सं०	छपने का दिनांक	पदों की संख्या
1.	3/98	25.4.98	38
2.	4/98	13.6.98	25
3.	5/98	1.8.98	28
4.	6/98	12.9.98	39
5.	7/98	31.10.98	33
6.	8/98	5.12.98	31
7.	1/99	2.1.99	57
8.	2/99	13.3.99	31
कुल			282

वर्ग के अनुसार पदों का विभाजन निम्न है :

1.	उप महानिदेशक और राष्ट्रीय संस्थानों के निदेशक (रु० 7600/-नियत)	2
2.	सहायक महानिदेशक, संस्थानों के निदेशक राष्ट्रीय संस्थानों के प्रायोजना निदेशक और संयुक्त निदेशक (रु० 4500-7300)	20
3.	प्रायोजना समन्वयक और क्षेत्रीय समन्वयक (रु० 4500-7300)	16
4.	डिवीजन/आयंत्तिक स्टेशनों के प्रधान (रु० 4500-7300)	37
5.	प्रधान वैज्ञानिक	41

6.	वरिष्ठ वैज्ञानिक	165
7.	तकनीकी	1

		282

साक्षात्कार और नियुक्ति

3.2 213 पदों की भर्ती प्रक्रिया संपन्न की गई 2550 आवेदन प्राप्त हुए, 1615 प्रत्याशियों को साक्षात्कार हेतु बुलावाया गया जिसमें 1161 सम्मिलित हुए। श्रेणी के अनुसार पदों का बंटवारा निम्न है :-

(क)	वैज्ञानिक	पदों की संख्या
i)	उप महानिदेशक /राष्ट्रीय संस्थानों के निदेशक	1
ii)	निदेशक/राष्ट्रीय संस्थानों के संयुक्त निदेशक/सहायक महानिदेशक/ प्रायोजना निदेशक	23
iii)	क्षेत्रीय समन्वयक/प्रायोजना समन्वयक/राष्ट्रीय संस्थानों के अलावा संस्थानों के संयुक्त निदेशक	18
iv)	प्रभाग के अध्यक्ष : प्रभारी अधिकारी	30
v)	प्रधान वैज्ञानिक	64
vi)	वरिष्ठ वैज्ञानिक	77
(ख)	तकनीकी	शून्य
	कुल =	213

विवरण परिशिष्ट -IX में दिया गया है।

साक्षात्कार द्वारा भर्ती जिसमें प्रायोगिक या लिखित परीक्षा सम्मिलित थी

3.3 उन मामलों में परीक्षाएं ली गईं जहां प्रत्याशियों की निपुणता को अच्छी तरह मालूम करना हो या जहां इसका स्क्रीनिंग प्रक्रिया के रूप में प्रयोग करना हो या जहां यह साक्षात्कार के लिए लाभदायक हो। वर्ष के दौरान किसी भी पद के लिए इस प्रकार की कोई भी परीक्षा नहीं ली गई।

कुछ निश्चित क्षेत्रों में उपयुक्त उम्मीदवारों की कमी

3.4 बोर्ड को 11 पदों के लिए उपयुक्त उम्मीदवार नहीं मिले (परिशिष्ट-X) 8 पदों के लिए योग्य उम्मीदवार नहीं मिले जिन्हें साक्षात्कार के लिए बुलाया जा सके (परिशिष्ट-XI)

भर्ती रद्द या वापस लेना

- 3.5 बोर्ड द्वारा अधिसूचित किए जाने के बावजूद परिषद ने कई भागलों में भेजा गया मांग पत्र वापस लेने के लिए प्रस्ताव भेजा । विज्ञापित किए जाने के बावजूद 8 पदों की भर्ती वर्ष के दौरान रद्द की गई, लेकिन यह परिषद के अनुरोध पर साक्षात्कार से पहले किया गया (परिशिष्ट-XII) ।

बोर्ड द्वारा पद की अधिसूचना जारी करने के बाद योग्यता में बदलाव

- 3.6 ऐसे मामले निरंतर आते रहे जिनमें मांग पत्र में दी गई योग्यता के आधार पर मंडल द्वारा जारी की गई अधिसूचना के बाद परिषद ने कई मामलों में योग्यता में परिवर्तन का प्रस्ताव भेजा । वर्ष के दौरान एक पद की भर्ती को विज्ञापित किए जाने के बाद प्रस्तावित योग्यता में बदलाव के कारण रद्द करना पड़ा (परिशिष्ट-XIII) ।

सुधार

- 3.8 साक्षात्कार के दौरान बातचीत की सुनिश्चिति पर बल देने के लिए और उम्मीदवार को अपने विषय से संबंधित 5 वर्षों की कार्य योजना की धारणा को सुदृढ़ और संशोधित किया गया तथा उम्मीदवार को सम्मिलित करने को कहा गया ।

(क) एक संक्षिप्त टिप्पणी (एक पेज का) जिसमें कार्य जो उम्मीदवार द्वारा 10 वर्षों के दौरान जो कार्य किया गया हो, इस दौरान की उपलब्धि जिसमें तकनीकी विकास, प्रायोजना पूरी की गई हों, टांचागत सुधार में योगदान, आंतरिक अनुशासित योजना बनाने और अनुसंधान कार्य में भाग लेना प्रायोजना के लिए बाध्य वित्त की व्यवस्था आदि की पुनरीक्षा की गई हो ।

(ख) जिस पद के लिए आवेदन किया गया हो, (तीन पेज का) पद से संबंधित कार्यकलाप कैसे संपन्न हो की जानकारी सम्मिलित करना । दी गई सूचना में नए, अनुसंधान प्रायोजना/कार्य क्षेत्र की जानकारी, भौतिक तथा संघटनात्मक सुविधाएं जिनका विकास होना हो, अन्य अनुसंधान इकाई से संबंध और विभाग के विकास का प्रस्ताव, साथ ही साथ बदलाव से होने वाले लाभ । योजना प्रायोगिक और वास्तविक हो । जिसको पांच वर्षों में पूरा किया जा सके और संस्थान के उपलब्ध संसाधनों के अंतर्गत आता हो । योजना तैयार होने के समय, पद और वर्तमान उपलब्धियों के साथ में तकनीकी विकास का समालोचन किया गया हो । योजना को तैयार करते समय विभाग की वार्षिक रिपोर्ट का सहारा लिया जा सकता है ।

अध्याय-IV

भर्ती और सेवा नियमावली

4.1 वर्ष के दौरान भर्ती नियमावली में नये नियम बनाने/संशोधन करने से संबंधित 21 प्रस्ताव प्राप्त हुए जिनमें से सभी मामलों में मंडल ने स्वीकृति प्रदान की -

1. निदेशक (कार्मिक)
2. निदेशक (वित्त)
3. उप सचिव, भा.कृ.अ.प., सचिव, कृ.वै.नि.मं., संयुक्त निदेशक (प्रशा.), भा.कृ.अ.प., नई दिल्ली
4. अवर सचिव
5. अनुभाग अधिकारी/सहायक प्रशासनिक अधिकारी
6. सहायक वित्त एवं लेखा अधिकारी
7. सहायक
8. कनिष्ठ वित्त अधिकारी
9. उच्च श्रेणी लिपिक
10. निजी सचिव
11. वरिष्ठ निजी सहायक
12. आशुलिपिक ग्रेड-1(निजी सहायक)
13. आशुलिपिक ग्रेड-3
14. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी
15. वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
16. प्रशासनिक अधिकारी
17. मुख्य वित्त एवं लेखा अधिकारी
18. वरिष्ठ वित्त एवं लेखा अधिकारी
19. वित्त एवं लेखा अधिकारी
20. स्टोर/लैब एटेंडेंट
21. चपरासी

4.2 यह देखा गया कि भर्ती नियमावली से संबंधित प्रस्तावित नये नियम/संशोधनों के बारे में पूर्ण सूचना/दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराये गए थे । संबंधित स्पष्टीकरण/दस्तावेज आग्रह पर उपलब्ध कराये गये । इस वजह से प्रस्तावों के बारे में मंडल को अपनी सलाह देने में अनावश्यक विलम्ब हुआ ।

अध्याय-V

परीक्षाओं में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ी जाति के परीक्षार्थियों का प्रदर्शन

परीक्षा द्वारा नियुक्ति

5.1 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के परीक्षार्थियों की नियुक्ति की सिफारिश निर्धारित मानदंडों में कूट देने के आधार पर की गई जिसके लिए नियुक्ति के योग्य होना या फिर छात्रवृत्ति के लिए अधिकारी होना आवश्यक देखा गया ।

5.1.1 तकनीकी और व्यवसायी योग्यता पूरी न करने की दशा में बोर्ड द्वारा परीक्षार्थी को आरक्षित होने के बावजूद भी कृषि अनुसंधान सेवा में वैज्ञानिक के पद पर या वरिष्ठ अनुसंधान छात्रवृत्ति के लिए अनुसूचित जाति श्रेणी के तहत चुना नहीं गया । विस्तृत ब्यौरा निम्न प्रकार है :

परीक्षा का नाम	अनुसूचित जाति के परीक्षार्थियों के लिए आरक्षित पदों की संख्या	नियुक्ति के लिए सिफारिश किए गए अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों की संख्या
ए आर एस/एन ई टी/एस आर एफ 1997	34	24

5.1.2 ऐसी परीक्षाएं जिनमें तकनीकी और प्रोफेशनल योग्यता आवश्यक हैं उनमें वैज्ञानिक पदों पर नियुक्ति तथा परिषद की वरिष्ठ अनुसंधानवृत्ति प्रदान करने हेतु अनुसूचित जनजाति के तहत आरक्षण के आधार पर सभी रिक्तियों को नहीं भरा जा सका । इसका ब्यौरा निम्नलिखित है :

परीक्षा का नाम	अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित	नियुक्ति के लिए अनु. जनजातियों से संबंधित प्रत्याशियों की संस्तुत
ए आर एस/एन ई टी/ एस आर एफ 1997	24	5

ऐसी परीक्षाएं जिनमें तकनीकी और प्रोफेशनल योग्यता आवश्यक है उनमें ए आर एस में वैज्ञानिक पदों पर नियुक्ति हेतु अन्य पिछड़ी जातियों की श्रेणी के तहत सभी रिक्तियों को नहीं भरा जा सका इसका ब्यौरा निम्नलिखित है :-

परीक्षा का नाम	अन्य पिछड़ी जाति के लिए आरक्षित रिक्तियां	नियुक्ति हेतु अन्य पिछड़ी जातियों से संबंधित प्रत्याशियों की संस्तुति
ए आर एस/एन ई टी/ एस आर एफ 1997	46	31 08 अनारक्षित पदों के बदले

मूल्यांकन-मूल्यांकन की समीक्षा और कृषि अनुसंधान सेवा में प्रवेश

- 6.1 वर्ष के दौरान मूल्यांकन समीक्षा का एक मामला पूरा किया गया । जो वैज्ञानिक ग्रेड एस-1 से संबंधित थी विवरण परिशिष्ट-XIV में दिया गया है ।
- 6.2 वर्ष के दौरान प्रवेश के दो मामलों पर विचार किया गया और भा.कृ.अ.प. को संस्तुति भेजी गई । दोनों मामले अनुसंधान प्रबंधन स्तर के वैज्ञानिकों के थे । इनसे संबंधित विवरण परिशिष्ट-XV में दिया गया है ।
- 6.3 एस-0 के ग्रेड के कृषि सांख्यिकी विषय में निर्धारण समीक्षा के तीन मामलों पर विचार किया गया । विवरण परिशिष्ट XVI में दिया गया है ।

अध्याय-VII

वैज्ञानिक और तकनीकी कर्मचारियों का कैरियर विकास

- 7.1 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू जी सी) के वेतनमानों को लागू किए जाने के बाद वैज्ञानिकों के कैरियर विकास के मामलों पर विभागीय प्रोन्नति समिति डी पी सी ने विचार किया। मंडल ने वर्ष के दौरान भा.कृ.अ.प. के संस्थानों/मुख्यालय की विभागीय प्रोन्नति समितियों के लिए 76 विशेषज्ञों को बतौर अध्यक्ष नामित किया गया ताकि वैज्ञानिकों के मामलों का मूल्यांकन कर उन्हें प्रोन्नत कर उच्च ग्रेड दिया जा सके।
- 7.2 मंडल ने वर्ष के दौरान परिषद के संस्थानों/मुख्यालय के श्रेणी-I और श्रेणी-II के तकनीकी कर्मचारियों के तकनीकी सेवा नियम 6.6 के तहत मेरिट प्रोन्नति/अग्रिम वेतन वृद्धि आदि हेतु गठित मूल्यांकन समितियों के लिए 175 विशेषज्ञों को बतौर इन समितियों का अध्यक्ष नामित किया।
- 7.3 मंडल ने वर्ष के दौरान परिषद के मुख्यालय/संस्थानों में कार्यरत श्रेणी III के तकनीकी कर्मचारियों की मेरिट प्रोन्नति/अग्रिम वेतन वृद्धि आदि के लिए तकनीकी सेवा नियम 6.7 के तहत गठित मूल्यांकन समितियों हेतु भी 122 विशेषज्ञों को अध्यक्ष के रूप तथा 171 विशेषज्ञों को सदस्य के रूप में नामित किया गया। विवरण परिशिष्ट-XVI में दिया गया है।

हिन्दी का प्रयोग

- 8.1 मंडल के कार्यालय में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग को प्रोत्साहन देने के लिए पर्याप्त प्रबंध किए गए हैं । केन्द्र सरकार की राजभाषा नीति के क्रियान्वयन और वार्षिक राजभाषा कार्यक्रम के लिए निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के उद्देश्य से समूह "बी" वर्ग के एक तकनीकी अधिकारी केवल इससे संबंधित कार्य में संलग्न हैं ।
- 8.2 मंडल में कार्यरत अधिकारी वर्ग के 58.2 प्रतिशत और कर्मचारी वर्ग 75.6 प्रतिशत कर्मियों ने हिन्दी भाषा का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त किया ।
- 8.3 भा.कृ.अ.प. के मुख्यालय में प्रत्येक तिमाही में आयोजित होने वाली राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों में मंडल के प्रतिनिधि ने हिस्सा लिया और बैठकों में मंडल के कार्यालय में हिन्दी के प्रयोग की दिशा में हो रही प्रगति की समीक्षा की गई ।
- 8.4 परीक्षा नियमावली, सूचना, पाठ्यक्रम, प्रत्याशियों के लिए अनुदेश, प्रवेश प्रमाणपत्र, परीक्षा पुस्तिका, उत्तर पुस्तिका, आवेदन प्रपत्र, हाजिरी शीट एवं सूची आदि अंग्रेजी और हिन्दी में एक साथ प्रकाशित किए गए हैं ।
- 8.5 मंडल द्वारा जारी विज्ञापनों का हिन्दी रूपांतरण तैयार कर इनको रोजगार समाचार सहित देश भर के प्रमुख समाचार पत्रों में अंग्रेजी और हिन्दी में प्रकाशित किया गया ।

बाधाएं और सुझाव

कर्मचारियों की कमी

9.1 मंडल की इस वार्षिक रिपोर्ट का भी हिन्दी रूपांतरण तैयार किया गया और प्रकाशित किया गया। भा.कृ.अ.प. के अध्यक्ष चाहते हैं कि कृषि वैज्ञानिक नियुक्ति मंडल को मजबूत किया जाए। इसलिए मंडल चाहता है कि रिक्त पड़े पदों को वरीयता के आधार पर परिषद द्वारा भरा जाए। आठवीं योजना अवधि में मंडल को मजबूत करने की सिफारिश व्यय व वित्त को समिति ने मंजूरी दे दी है।

सदस्यों के रिक्त पद

9.2 एक सदस्य का पद जो 2 जनवरी, 1997 से रिक्त पड़ा है अभी तक भरा नहीं गया है। 13 जनवरी, 1997 को भा.कृ.अ.प. के अध्यक्ष ने जांच समिति के विधान को मंजूरी दे दी है आगे की कार्यवाही कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग द्वारा करनी है। रिक्त सदस्य पद की वजह से कार्य में बाधाएँ आ रही हैं अतः इसको जल्दी भरने की कार्यवाही की जानी चाहिए। बोर्ड के अध्यक्ष की कार्यावधि 5 जून, 1998 को पूरी हो गई। किसी भी अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं की गई। केवल डॉ० कीर्ति सिंह को मंडल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया।

मांगपत्र को वापस लेना या विज्ञप्ति के बाद योग्यता में बदलाव

9.3 कई मामलों में परिषद ने भर्ती के लिए भेजा गया मांग पत्र वापस ले लिया गया विज्ञप्ति के बाद योग्यता में बदलाव हेतु वापस ले लिया जिनका विवरण पैदा 3.4 और 3.6 तथा परिशिष्ट XII और XIII में दिया गया है। मंडल को ऐसा लगता है कि परिषद ने दस्तावेज तैयार करते समय मांग पत्र शामिल करने के लिए आवश्यक और वांछनीय योग्यताओं पर अधिक ध्यान नहीं दिया। मांगपत्र में योग्यता/वांछनीयता के बारे में इस प्रकार की अनिश्चितता और ध्यान न देने के लिए वह भी जिम्मेदार हैं।

सेवा नियमों में परामर्श

9.4 मंडल ने परिषद द्वारा मिले भर्ती नियमों से संबंधित प्रसंग के उत्तर देने में कम समय लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। लेकिन यह नोट किया गया है कि मंडल से पहले परामर्श व्यवस्था के नियम और अधिनियम के मामले में परिषद ने पालन नहीं किया जिनका पालन करना जरूरी है। कृ.वै.नि.मं. समीक्षा समिति ने अपनी रिपोर्ट के अनुच्छेद- 4.22.5 में उप नियम 24 के प्रावधान के पूर्णतः पालन करने की सिफारिश की है। इसे अध्यक्ष, भा.कृ.अ.प. ने अनुमोदित कर दिया है।

अनुशासन मामलों में परामर्श

- 9.5 नियम 26 (सी) के तहत परिषद द्वारा या मंडल की सलाह लेकर व्यक्तिगत भर्ती या नियुक्ति के अनुशासनात्मक मामले प्रकाश में नहीं आये । कोई भी अनुशासनात्मक मामला राय के लिए प्राप्त नहीं हुआ । मंडल परिषद को इन मामलों में राय देना चाहता है कि वह संबंधित नियम और अधिनियमों का पालन करे । कृ.वै.नि.मं. समीक्षा समिति ने अपनी रिपोर्ट के अनुच्छेद 6.6.1, 6.7.2 और 6.7.3 के अनुसार सिफारिश की है नियम 26(सी) के प्रावधान का पूर्णतः पालन किया जाए । इसे भा.कृ.अ.प. के अध्यक्ष ने अनुमोदित कर दिया है ।

नियतकालिक परीक्षाएँ

- 9.6 प्रत्येक वर्ष के अक्टूबर माह में ए.आर.एस./नेट/एस.आर.एफ. की परीक्षाएँ ली जाती हैं । उसके बाद अगले वर्ष मई-जून में मौखिक परीक्षा ली जाती है लेकिन अन्य परीक्षाओं के मामले में समय निर्धारित नहीं है । मंडल द्वारा प्रशासनिक अधिकारी, वित्त एवं लेखाधिकारी, अनुभाग अधिकारी, सहायकों और अन्य सीमित परीक्षाएँ बिना समय-सारणी के ली जाती हैं । जिनका वर्णन पैरा 2.2.10 और परिशिष्ट IX में दिया गया है । इस कारण मंडल परीक्षाओं का वार्षिक विधिपत्र तैयार नहीं कर पाया । मंडल परिषद से चाहता है कि इस मामले में ध्यान दिया जाए । इसके बारे में वर्ष 1996-97 की वार्षिक रिपोर्ट में बताया गया लेकिन परिषद की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है ।

मानव संसाधन विकास

- 9.7 मंडल द्वारा यह प्रयास किया जाता है कि वैज्ञानिक और अन्य अधिकारियों को जो मंडल द्वारा भर्ती किये गये हों उनके प्रदर्शन को जारी रखा जाए । पुनर्निवेशन को निवेश की तरह इस्तेमाल करके भर्ती प्रक्रिया में सुधार के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है । इसका लक्ष्य यह होना चाहिए कि राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान पद्धति में मानव संसाधन का विकास हो । जी.वी.के. राव समिति ने परिषद के कार्यों का पुनर्मूल्यांकन किया और सुझाव दिया कि मंडल को केवल भर्ती करने तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए बल्कि परिषद के मानव संसाधन विकास की भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए । समिति ने महसूस किया कि मंडल द्वारा भा.कृ.अ.प. में वैज्ञानिकों की भर्ती के लिए उनकी जीवन-वृत्ति (कैरियर) को ध्यान में रखा जाए, इससे मंडल की व्यक्तिगत नीतियों और कृषि अनुसंधान सेवा में सुधार होगा । रिपोर्ट में दुबारा अनुशांसा की गई कि मंडल में अनुसंधान एवं विश्लेषण विंग होना चाहिए जहाँ पर कृषि विज्ञान में मानव और विकास अनुसंधान का कार्य होना चाहिए और इसका उपयोग भा.कृ.अ.प. की व्यक्तिगत व्यवस्था की नीतियों को बढ़ाने में होना चाहिए । शासी निकाय अध्यक्ष और भा.कृ.अ.प. की अनुशांसाओं की स्वीकृत करने के तुरंत बाद मंडल ने अनुसंधान एवं विश्लेषण विंग की स्थापना का प्रस्ताव भेजा है । मंडल के प्रस्ताव में यह भी जोड़ा गया है कि आठवीं पंचवर्षीय योजना में इसको मजबूत

बनाया जाए । यद्यपि यह प्रस्ताव मंजूर सैद्धान्तिक रूप से कर लिया गया है लेकिन नये पदों के सृजन के लिए अभी परिषद के पास पड़ा है । नाजुक स्थिति से निपटने के लिए कुछ काम कंप्यूटरीकृत करने तथा नये पद सृजित करने की मंजूरी ई एफ सी ने दे दी थी लेकिन यह काम भी परिषद के पास लम्बित पड़ा है । कंप्यूटर हार्डवेयर जो आठवीं योजना के अंतर्गत मंजूर किया गया इसका पूरा उपयोग नहीं हो सका । यह मंडल कार्य में वर्ष के दौरान बाधा है ।

मंडल द्वारा भर्ती कर्मचारियों का प्रशिक्षण

9.8 मंडल द्वारा खुली परीक्षा द्वारा चुने गए कर्मचारियों के सही प्रशिक्षण पर पुनः ज्यादा बल दिया गया । नार्म में कृषि अनुसंधान सेवा के लिए चुने कर्मचारियों के प्रशिक्षण का प्रावधान किया गया है लेकिन संयुक्त कैडर के तहत इस तरह का प्रशिक्षण प्रशासनिक अधिकारी, वित्त एवं लेखा अधिकारी, अनुभाग अधिकारी, सहायकों आदि के लिए नहीं है । इस प्रकार की सेवाओं के लिए बोर्ड ने परिषद को अनुशंसाये भेजी है लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है । यद्यपि 1986 बैच के प्रशासनिक अधिकारी, वित्त एवं लेखा अधिकारियों को तीन सप्ताह का प्रशिक्षण 1992 में और 1994 बैच के अधिकारियों को तीन माह का प्रशिक्षण 1997 में दिया गया । इस प्रकार का अल्पकालिक प्रशिक्षण नियुक्ति के 3-5 वर्ष बाद देने से कोई लाभ नहीं होता क्योंकि तब तक नये भर्ती वाले व्यक्ति को यहां पर काफी समय हो जाता है । अनुभाग अधिकारी/सहायकों के प्रशिक्षण की अभी तक कोई व्यवस्था नहीं है । मंडल परिषद को सलाह देना चाहता है कि अधिकारी व अन्य कर्मचारियों के प्रशिक्षण को महत्व दिया जाना चाहिए । इसके बारे में वर्ष 1996-97 की वार्षिक रिपोर्ट में बताया गया लेकिन परिषद की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ ।

जगह की कमी

9.9 1984 में मंडल को 1.25 मंजिले कृषि अनुसंधान भवन में दी गई थी । तब से आज तक मंडल के कार्यकलापों में तथा रिकार्ड में काफी वृद्धि हो चुकी है तथा आवश्यकता से बहुत कम जगह मंडल के पास है । अन्य कार्यालयों की तरह मंडल को अपना रिकार्ड कुछ कारणवश लम्बे समय तक रखना पड़ता है जिससे अधिक जगह की आवश्यकता पड़ती है । कृषि अनुसंधान भवन-II बनने से इस समस्या में कमी आयेगी ।

आभार

कृषि वैज्ञानिक नियुक्ति मंडल विशेष रूप से अध्यक्ष, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद सोसायटी के प्रति हार्दिक आभार प्रकट करता है, जिनके सहयोग एवं समर्थन के बिना मंडल अपने कार्यकलापों का इतनी कुशलतापूर्वक निष्पादन नहीं कर सकता था ।

दिनांक 25.5.1999

नई दिल्ली

(कीर्ति कुमार वाजपेयी)

सचिव

कृषि वैज्ञानिक नियुक्ति मंडल

परिशिष्ट-1
(अनुच्छेद 1.1.2 के अनुसार)

भा.कृ.अ.प. समिति के नियम और उप नियमों के उद्घरण

संविधान

नियम 25

एक कृषि वैज्ञानिक नियुक्ति मंडल का निर्माण किया जाए जिसमें कि पूर्ण समय के लिए एक चेयरमैन और अन्य सदस्य हों जिनका चयन एवं नियुक्ति भारत सरकार की स्वीकृति द्वारा अध्यक्ष करे ।

25 (ए) यदि कृ.वै.नि.मं. का चेयरमैन पदासीन न हो या फिर किन्हीं कारणों से वह उपस्थित न हो या वह अपने कार्य को करने में सक्षम न हो तो नियम 25 के अंतर्गत किसी अन्य व्यक्ति को चेयरमैन नियुक्त किया जा सकता है या फिर चेयरमैन की नियुक्ति के बाद उसके पदासीन होने तक बोर्ड का अन्य सदस्य भा.कृ.अ.प. के अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जा सकता है ।

25(बी) चेयरमैन और अन्य सदस्य 6 वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किए जाएंगे या फिर उनकी नियुक्ति के बाद 65 वर्ष की आयु तक दोनों में से जो भी पहले मान्य होगी ।

25(सी) नीचे लिखे मुद्दों के तहत चेयरमैन अथवा परिषद के अन्य सदस्य को अध्यक्ष भा.कृ.अ.प. के द्वारा हटाया जा सकता है । व्यवहार उचित न होने या अन्य कोई कारण से जो कि मान्य न हो के आधार पर कार्यकारी निकाय के तीन सदस्यों की उच्च अधिकार प्राप्त समिति उन्हें अपदस्थ कर सकती है । इस तरह से व्यक्ति को उचित न्याय दिया जाता है और दोषी पाये जाने की अवस्था में दोषी व्यक्ति को अपदस्थ भी किया जा सकता है ।

उपरोक्त कारणों के अलावा निम्नलिखित और भी कई कारण हो सकते हैं जिनको मद्देनजर रखते हुए बोर्ड के चेयरमैन या अन्य किसी सदस्य को अध्यक्ष द्वारा अपदस्थ किया जा सकता है ।

(क) समस्या को सुलझा न पाए ।

(ख) कार्यालय में कार्य करते हुए बाहर का काम कर धन अर्जित करे ।

(ग) अध्यक्ष के विचार से यदि वह अपने कार्य को सुचारु रूप से सम्पन्न न कर पा रहा हो ।

25 (सी) (ii) चेयरमैन अपने अधिकारों को यदि आवश्यक समझे तो लिखित रूप में बोर्ड के किसी अन्य सदस्य को स्थानांतरित कर सकता है ।

कार्य

नियम 26

- (क) नियुक्ति मंडल एक स्वतंत्र नियुक्ति संस्था के रूप में कार्य करेगा और कृषि अनुसंधान सेवा तथा समय-समय पर अध्यक्ष द्वारा आदेश किए गए पदों को भरेगा ।
- (ख) नियुक्ति मंडल परिषद के अध्यक्ष की मांग पर पदोन्नति आदि के साथ साथ परिषद के वैयक्तिक मामलों के लिए भी सहायता करेगा ।
- (ग) नियुक्ति बोर्ड परिषद द्वारा या फिर मंडल द्वारा नियुक्त किए गए मुद्दों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के लिए परिषद को सलाह भी देगा ।
- (घ) हर वर्ष नियुक्ति मंडल मई के दूसरे सप्ताह में अध्यक्ष को बोर्ड से संबंधित वित्तीय तथा अन्य गतिविधियों की सूचना भी देगा ।

नियुक्ति नियम

नियम 73

परिषद में किए जाने वाली नियुक्ति आदे के विषय में परिषद द्वारा बोर्ड के चेयरमैन की सलाह के बाद तैयार किए गए नियमों के आधार पर या फिर परिषद के अन्य सदस्यों द्वारा जिसे कि चेयरमैन ने अपने अधिकार दिए हों नियम 25 (सी) द्वारा नियुक्ति की जाएगी जो कि शासी निकाय और अध्यक्ष की स्वीकृति के बाद होगी ।

नियुक्ति समिति, साक्षात्कार मंडल

उप नियम 24

परिषद के अधीन विभिन्न पदों पर प्रौन्नति चयन, भर्ती और इसके प्रासंगिक व संबंधित मामलों पर नियुक्ति समिति या फिर साक्षात्कार समिति या अन्य समितियों का गठन कृषि वैज्ञानिक नियुक्ति मंडल के चेयरमैन या फिर उनके द्वारा अधिकार प्राप्त सदस्य द्वारा भा.कृ.अ.प. के अध्यक्ष की स्वीकृति के बाद किया जाएगा ।

विशिष्ट वैज्ञानिकों की नियुक्ति

उपनियम 26

परिषद के महानिदेशक स्वयं अपने अधिकार से या फिर अनुसंधान संस्थानों के निदेशक या कृषि विश्वविद्यालयों के उप-कुलपतियों की सलाह पर योग्यता और अनुभवों के आधार पर विशिष्ट भारतीय वैज्ञानिकों की नियुक्ति, मंडल के मशवरे के बाद कर सकते हैं । परन्तु इसके लिए परिषद के अध्यक्ष की स्वीकृति होना आवश्यक है ।

परिशिष्ट-II

(अनुच्छेद 1.2 के अनुसार)

वर्ष 1998-99 के दौरान मंडल का गठन

डॉ0 ए. एल चौधरी

6 जून, 1998 तक अध्यक्ष

डॉ0 कीर्ति सिंह, सदस्य

(28.7.99 से कार्यवाहक
अध्यक्ष के रूप में नियुक्त)

परिशिष्ट-॥ (क)
(अनुच्छेद 1.2.1 के अनुसार)

कृषि वैज्ञानिक नियुक्ति मंडल के अधिकारी

क्र. सं०	पद का नाम	स्वीकृत पदों की सं०	पदाधिकारी का नाम
1.	सचिव	1	श्री के.के. वाजपेयी
2.	परीक्षा नियंत्रक	1	श्री बी. एन. राव (फरवरी, 1999 तक) श्री पी. बपय्या (मार्च, 1999 से)
3.	अवर सचिव	1	रिक्त
4.	विशेष सहायक	1	श्री एम.एस. नागपाल
5.	सहायक वित्त एवं लेखा अधिकारी	1	श्री रोशन लाल
6.	अनुभाग अधिकारी	5	1. श्री मदन सरूप* 2. श्री जी.एस. शर्मा*** 3. श्री जे.एस. भंडारी 4. श्री एन.के. जिन्दल 5. श्री खैराती लाल 6. श्री राजेन्द्र कुमार
7.	तकनीकी अधिकारी		श्री विनोद कुमार

* 24.2.99 तक

*** 25.2.99 से

परिशिष्ट-II(ख)
(अनुच्छेद 1.2.1 के अनुसार)

कृषि वैज्ञानिक नियुक्ति मंडल का स्टाफ

क्र.सं०	पद का नाम	स्वीकृत पदों की सं०	स्थिति	
			1.4.98	31.3.99
1.	निजी सचिव	2	---	---
2.	वरिष्ठ निजी सहायक/निजी सहायक	6	6	6
3.	सहायक	15	12	13
4.	उच्च श्रेणी लिपिक	12	9	8
5.	अवर श्रेणी लिपिक	14	8	8
6.	हिन्दी आशुलिपिक ग्रेड-III	1	1	--
7.	वरि. गैस्टेटर परिचालक	1	1	--
8.	ड्राइवर	2	2	2
9.	दफ्तरी	2	2	2
10.	जमादार	3	2	1
11.	चपरासी	8	8	6
12.	पैकर	1	1	1
13.	माली	1	1	1

परिशिष्ट-III
(अनुच्छेद 1.3)

वर्ष 1998 के दौरान कृ.वै.नि.मंडल की प्राप्ति व व्यय का विवरण

आय का नाम	राशि (रु० लाख में)
क-आय	
आवेदन पत्र व परीक्षा शुल्क आदि (लौटाए जाने के बाद की कुल राशि)	25.49
ख-व्यय	
वेतन	74.05
मजदूरी	--
समयोपरि भत्ता	0.86
अंतर्देशीय यात्रा व्यय	5.85
कार्यालय व्यय	112.95
परीक्षाओं व चयन पर किया गया व्यय	
(क) यात्रा व्यय	62.16
(ख) अन्य प्रभार	49.65
कुल	305.52

परिशिष्ट IV

(अनुच्छेद 1.4 के अनुसार)

पिछले पांच वर्षों के लिए मंडल के कार्यभार का तुलनात्मक विवरण

	1994-95	1995-96	1996-97	1997-98	1998-99
क. परीक्षा द्वारा भर्ती आयोजित परीक्षाओं की संख्या	4*	3\$	3#	2+	2+
पदों की संख्या	346	289	356	165	236
प्रतिभागियों की संख्या	14806	19192	10080	10266	71083
साक्षात्कार के लिए प्रतिभागियों की संख्या	355	1025	1802 +	1706	621
देश में केन्द्रों की संख्या जहां परीक्षा के प्रबंध किए गए	24	24	25	25	25
ख. साक्षात्कार द्वारा भर्ती पदों की संख्या जिनके लिए साक्षात्कार किया गया	120	128	129	157	213
प्राप्त आवेदनों की संख्या	1471	2317	1887	2488	2550
साक्षात्कार के लिए बुलाए गए उम्मीदवारों की संख्या	840	1442	1330	1452	1615
साक्षात्कार में शामिल हुए प्रत्याशियों की संख्या	571	1053	931	1001	1161
ग. रा.पा. परीक्षा में पास होने वाले प्रत्याशियों की संख्या	523	1129	1502	1284	1728
घ. भा.कृ.अ.प. की वरि. अनु.वृत्ति के लिए सिफारिश किए गए प्रत्याशियों की संख्या	ए ई	537 @	178	176	168

ड. वैज्ञानिकों का मूल्यांकन	12	67	14	3	1
च. वैज्ञानिकों के मूल्यांकन की समीक्षा	2	1	6	0	3
छ. कृषि अनुसंधान सेवा में प्रवेश	3	2	4	1	2

- ©
1. कृषि अनुसंधान सेवा परीक्षा-1995
 2. वित्त एवं लेखा अधिकारी / वित्त अधिकारी
 3. अनुभाग अधिकारियों के लिए सीमित विभागीय परीक्षा
 4. सहायकों के लिए सीमित विभागीय परीक्षा

- \$
1. कृषि अनुसंधान सेवा परीक्षा-1995
 2. अनुभाग अधिकारी/सहायक परीक्षा
 3. आशुलिपिकों के लिए सीमित विभागीय परीक्षा

- #
1. कृषि अनुसंधान सेवा परीक्षा-1996
 2. अनुभाग अधिकारियों के लिए सीमित विभागीय परीक्षा
 3. सहायकों के लिए सीमित विभागीय परीक्षा

+ इसमें कृषि अनुसंधान सेवा-95 (वरि. अनुसंधानवृत्ति सहित) के 1717 उम्मीदवार भी शामिल हैं जिनकी साक्षात्कार परीक्षा ली गई। अनुभाग अधिकारी के लिए 85 उम्मीदवारों का साक्षात्कार किया गया जिसकी परीक्षा दिसम्बर, 96 में ली गई थी।

1. कृषि अनुसंधान सेवा/वरिष्ठ अनुसंधानवृत्ति -1998

2. अवर श्रेणी लिपिक परीक्षा-1998

ए कृषि अनुसंधान सेवा-92 परीक्षा अक्टूबर, 1993 में आयोजित की गई थी लेकिन इसका परिणाम वर्ष 1994-95 में घोषित किया गया।

ए ई मंडल को वरिष्ठ अनुसंधान वृत्ति की परीक्षा लेने का कार्य वर्ष 1994-95 से सौंपा गया, जिसका परिणाम 1995-96 में घोषित किया गया।

ए यह उन प्रत्याशियों की संख्या है जिन्होंने लिखित परीक्षा पास की है। इस वर्ष परिषद के शिक्षा प्रभाग द्वारा साक्षात्कार लिया गया।

0 परिषद से इस वर्ष के दौरान कोई भी मामला प्राप्त नहीं किया गया है।

+ अवर श्रेणी लिपिकों के लिए खुली प्रतियोगी परीक्षा

परिशिष्ट-IV(क)

(अनुच्छेद 1.4 के अनुसार)

कृषि अनुसंधान सेवा/वरिष्ठ अनुसंधान वृत्ति के लिए मौखिक परीक्षा/साक्षात्कार
के लिए हुई मंडल की बैठकों का ब्यौरा

क्र. सं०	माह	लिए गए विषय	बैठक/दिवसों की संख्या
1.	मार्च, 1998	19	22
2.	अप्रैल, 1998	13	13
3.	मई, 1998	7	7
4.	जून, 1998	18	23
5.	जुलाई, 1998	4	4
	कुल	61	69

परिशिष्ट-V

(अनुच्छेद 1.5 के अनुसार)

नियुक्ति की ऑफर में देरी के मामलों का ब्यौरा
(31.3.1999 की स्थिति)

पदों की संख्या जिनमें नियुक्ति की आफर संस्तुति के 1 माह में ही जारी कर दी गई ।	पदों की संख्या जिनमें नियुक्ति की आफर संस्तुति के 1-2 माह में जारी की गई ।	पदों की संख्या जिनमें नियुक्ति की आफर संस्तुति के 2-3 माह में जारी की गई ।	पदों की संख्या जिनमें नियुक्ति की आफर संस्तुति के 3-6 माह में जारी की गई	पदों की संख्या जिनमें नियुक्ति की आफर अभी तक नहीं भेजी गई ।
102	58	36	12	5

परिशिष्ट-VI
(अनुच्छेद 2.2.2 के अनुसार)

कृषि अनुसंधान सेवा परीक्षा 1997 के आधार पर परीक्षा के लिए आवेदन करने, सम्मिलित होने, परीक्षा उत्तीर्ण करने, साक्षात्कार में उपस्थित होने तथा चुने हुए अभ्यर्थियों का विवरण

क्र.सं0	विषय	आवेदन करने वाले	सम्मिलित होने वाले	मौखिक परीक्षा के लिए बुलाए गए	मौखिक परीक्षा में उपस्थित	चुने हुए
1.	कृषि कीट विज्ञान	420	199	5	2	1
2.	सस्य विज्ञान	730	353	32	27	7
3.	जैव रसाय विज्ञान (पौध विज्ञान)	141	80	4	2	1
4.	जैव प्रौद्योगिकी (कृषि विज्ञान)	374	208	36	32	11
5.	आर्थिक बनस्पति	39	23	8	8	3
6.	भूगोल	194	98	6	4	1
7.	आनुवंशिकी	86	44	9	9	4
8.	बागवानी	662	340	49	45	10
9.	पौध प्रजनन	623	305	14	12	3
10.	पौध रोग विज्ञान	432	213	11	11	3
11.	पौध कायिकी(कृषि/बाग.फसले)	188	81	8	7	2
12.	बीज प्रौद्योगिकी	79	44	22	22	8
13.	मृदा विज्ञान (रोग विज्ञान)	118	70	7	5	2
14.	मृदा, विज्ञान-मृदा भौतिकी तथा जल संरक्षण	86	44	13	10	3
15.	पशु आनुवंशिकी तथा प्रजनन	88	19	9	9	2
16.	पशु कायिकी	65	44	6	4	4
17.	जैव रसायन (पशु विज्ञान)	100	53	14	12	3
18.	पशुचिकित्सा रोग विज्ञान	44	32	6	1	1
19.	कृषि ठांचा एवं प्रोसेस अभियांत्रिकी	60	29	3	3	3
20.	फार्म मशीनरी तथा पावर	54	30	7	5	3
21.	मृदा तथा जल संरक्षण अभियांत्रिकी	111	61	34	26	8
22.	वानिकी	129	74	11	9	2
23.	कृषि अर्थशास्त्र	221	126	-	-	-
24.	कृषि सांख्यिकी	144	58	11	11	5
25.	कृषि में कंप्यूटर उपयोग	80	37	15	12	11
26.	खाद्य विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी	70	41	8	7	3

परिशिष्ट-VII
(अनुच्छेद 2.2.3 के अनुसार)

एन. ई. टी. (ए आर एस/एन इ टी/एस आर एफ 1997) परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले,
परीक्षा में बैठने वाले और उत्तीर्ण प्रत्याशियों का विवरण

कोड सं०	विषय	आवेदन करने वाले प्रत्याशी	परीक्षा में बैठने वाले प्रत्याशी	उत्तीर्ण होने वाले प्रत्याशी
1	2	3	4	5
01	कृषि रसायन विज्ञान	26	12	2
02	कृषि कीट विज्ञान	420	199	63
03	कृषि मौसम विज्ञान	22	15	6
04	सस्य विज्ञान	730	353	112
04	जैव रसायन शास्त्र (पौध विज्ञान)	141	80	7
06	जैव प्रौद्योगिकी (कृषि विज्ञान)	374	208	51
07	आर्थिक वनस्पति विज्ञान	39	23	4
08	भूगोल	194	98	49
09	आनुवंशिकी	86	44	20
10	बागवानी	662	340	181
11	सूक्ष्म जीव विज्ञान (कृषि)	133	78	27
12	सूत्रकृमि विज्ञान (कृषि)	38	21	10
13	पौध प्रजनन	623	305	177
14	पौध रोग विज्ञान	432	212	110
15	पौध कायिकी (कृषि/बागवानी फसलें)	188	81	38
16	बीज प्रौद्योगिकी	79	44	24
17	मृदा विज्ञान (पेडोलॉजी)	118	70	22
18	मृदा विज्ञान/मृदा रसायन विज्ञान उर्वरक/सूक्ष्म जैव विज्ञान	261	136	20
19	मृदा विज्ञान-मृदा भौतिकी तथा मृदा और जल संरक्षण	86	44	28
20	पशु आनुवंशिकी और प्रजनन	88	19	13
21	पशु पोषण	77	45	20
22	पशु शरीर विज्ञान	65	44	21
23	पशु पुनरुत्पादन, गाइनिक्ॉलेजी	32	22	17
24	जैव रसायन विज्ञान (पशु विज्ञान)	100	53	37
25	जैव प्रौद्योगिकी (पशु विज्ञान)	45	22	13
26	डेरी रसायन विज्ञान	11	8	2
27	डेरी सूक्ष्म जैव विज्ञान	23	15	11

28.	डेरी प्रौद्योगिकी	38	27	3
29	पशुधन उत्पादन और प्रबंधन	83	51	23
30	पशुधन उत्पाद प्रौद्योगिकी	24	12	6
31	मुर्गी पालन विज्ञान	40	25	20
32	पशु चिकित्सा औषधि	51	26	10
33	पशु चिकित्सा सूक्ष्म जैव विज्ञान	68	35	26
34	पशु चिकित्सा परजीवी विज्ञान	31	15	12
35	पशु चिकित्सा रोग विज्ञान	44	32	20
36	पशु चिकित्सा औषध विज्ञान	28	13	7
37	पशु चिकित्सा जन स्वास्थ्य	24	14	5
38	पशु चिकित्सा शल्य चिकित्सा	44	17	12
39	मछली और मछली पालन विज्ञान	309	163	68
40	मत्स्य संसाधन प्रौद्योगिकी	36	16	7
41	कृषि संरचना और प्रक्रिया अभियांत्रिकी	60	29	6
42	कैमिकल इंजीनियरिंग	3	-	-
43	इलेक्ट्रीकल इंजीनियरिंग	1	1	-
44	इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रुमेंटेशन	3	3	2
45	फार्म मशीन और शक्ति	54	30	16
46	यांत्रिकी अभियांत्रिकी	7	3	-
47	मृदा और जल संरक्षण अभियांत्रिकी	111	61	34
48	वस्त्र रसायन विज्ञान	4	2	2
49	वस्त्र तैयार करना	5	2	2
50	शिशु विकास	79	48	21
51	खाद्य और पोषण	182	115	78
52	गृह विकास/सांसाधन प्रबंध	60	37	16
53	गृह विज्ञान विस्तार	62	24	13
54	वस्त्र और पहनावा	46	23	6
55	वानिकी	129	74	58
56	जैव रसायन विज्ञान	202	94	9
57	भौतिक विज्ञान	137	51	2
58	कृषि अर्थशास्त्र	221	126	27
59	कृषि विस्तार	332	172	96
60	कृषि सांख्यिकी	144	58	12
61	कृषि में कंप्यूटर का प्रयोग	80	37	12
62	पशु चिकित्सा-शरीर रचना विज्ञान	18	10	4
63	खाद्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी	70	71	4
64	डेरी इंजीनियरिंग	-	-	-
65	मृदा और जल प्रबंध	2	1	1

परिशिष्ट-VIII

(अनुच्छेद- 2.2.9)

मंडल द्वारा (कृषि अनुसंधान सेवा परीक्षा के अलावा) निम्नलिखित परीक्षाएं ली गईं

(क) प्रशासनिक अधिकारी व वित्त एवं लेखा अधिकारी की नियुक्ति के लिए संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा

क्र.सं०	परीक्षा का नाम	पदों की संख्या		परीक्षा लेने का समय
		ए.ओ.	एफ. ए. ओ.	
1.	प्रथम परीक्षा	29	14	मई, 1986
2.	द्वितीय परीक्षा	15	14	अगस्त, 1990
3.	तृतीय परीक्षा	14	14	जून, 1994
4.	चतुर्थ परीक्षा	10	4	दिसम्बर, 1997

(ख) परिषद के मुख्यालय में अनुभाग अधिकारियों/सहायकों के लिए और परिषद के संस्थानों में सहायकों की नियुक्ति के लिए संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा

क्र. सं०	परीक्षा	पदों की संख्या			परीक्षा की तिथि
		अनुभाग अधिकारी	मुख्यालय में सहायक	संस्थानों में सहायक	
1.	प्रथम परीक्षा	9	35	34	मई, 1982
2.	द्वितीय परीक्षा	6	7	72	दिसम्बर, 1985
3.	तृतीय परीक्षा*	-	11	-	अक्टूबर, 1989
4.	चतुर्थ परीक्षा**	15	25	-	दिसम्बर, 1995

(ग) परिषद के मुख्यालय में निम्न श्रेणी लिपिक के लिए खुली प्रतियोगी परीक्षा

क्र. सं०	निम्न श्रेणी लिपिक मुख्यालय में	परीक्षा की तिथि
1.	40	जुलाई, 85
2.	85	नवम्बर, 98

* परिषद के मुख्यालय में सहायकों की नियुक्ति के लिए

** परिषद के मुख्यालय में अनुभाग अधिकारियों और सहायकों की नियुक्ति के लिए ।

परिशिष्ट- IX-

1.4.1998 से 31.3.1999 की अवधि के दौरान विज्ञापित पदों की संख्या, आवेदन करने वाले प्रत्याशियों की संख्या, साक्षात्कार के लिए बुलाये गये प्रत्याशियों की संख्या, साक्षात्कार के लिए उपस्थित प्रत्याशी आदि का विवरण

क्र.सं०	पद का नाम एवं स्थान	विज्ञापन संख्या	मद सं०	आवेदन करने वाले प्रत्याशियों की सं०	साक्षात्कार के लिए बुलाये गये प्रत्याशियों की सं०	साक्षात्कार में उपस्थित प्रत्याशियों की संख्या	साक्षात्कार की तिथि	पदों की सं०	सिफारिश की सूचना देने की तिथि	चयन किया गया या उपयुक्त नहीं थे	टिप्पणी
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.	वरि. वैज्ञानिक (मृ.जल प्रसंस्करण इंजी.) सी आई ए ई, भोपाल	3/97	60	13	04	02	1.4.98	2	3.4.98	चयन किया गया	
2.	वरि. वैज्ञानिक (कृषि आर्थिकी) सी आई ए ई, भोपाल	3/97	61	12	05	04	1.4.98	1	3.4.98	चयन किया गया	
3.	वरि. वैज्ञानिक (कृषि विस्तार) सी आई ए ई, भोपाल	3/97	62	10	06	05	1.4.98	1	3.4.98	चयन किया गया	
4.	वरि. वैज्ञानिक (कृषि विस्तार) पी डी सी एस आर, मोदीपुरम	3/97	49	10	06	05	2.4.98	1	3.4.98	चयन किया गया	
5.	वरि. वैज्ञानिक (कृषि आर्थिकी) पी डी एस आर, मोदीपुरम	3/97	51	14	06	08	2.4.98	1	3.4.98	चयन किया गया	
6.	वरि. वैज्ञानिक (वानिकी) सी एस डब्ल्यू सी आर एवं टी आई, देहरादून	3/97	58	10	02	02	3.4.98	1	7.4.98	चयन किया गया	
7.	वरि. वैज्ञानिक (वानिकी) सी ए जैड आर आई, जोधपुर	3/97	67	7	03	03	3.4.98	1	7.4.98	चयन किया गया	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
8.	वरि. वैज्ञानिक (मशीन एवं पावर फार्म) पी डी सी एस आर, मोदीपुरम	3/97	33	13	02	2	3.4.98	1	7.4.98	चयन किया गया	
9.	प्रधान वैज्ञानिक (आनुवांशिक/सैटोजन/पौध प्रजनन) काजरी, जोधपुर	3/97	27	10	07	06	14.4.98	1	20.4.98	चयन किया गया	
10.	प्रधान वैज्ञानिक (जैव रसायन) सी आई एफ ई, मुम्बई	3/97	19	7	2	2	14.4.98	1	20.4.98	चयन किया गया	
11.	क्षेत्रीय समन्वयक (क्षेत्र-IV) काजरी जोधपुर	3/97	14	25	12	9	15.4.98	1	20.4.98	चयन किया गया	
12.	प्रधान वैज्ञानिक (माइक्रोबायलोजी) सी आई एफ ई, मुम्बई	3/97	16	1	1	1	16.4.98	1	20.4.98	चयन किया गया	
13.	प्रधान वैज्ञानिक (कृषि आर्थिकी) सी आई एफ ई, मुम्बई	3/97	17	14	11	8	16.4.98	1	20.4.98	चयन किया गया	
14.	प्रधान वैज्ञानिक (एगोनोमी) कृषि महिलाओं के लिए रा.अनु. केन्द्र, भुवनेश्वर	3/97	25	10	09	08	17.4.98	1	22.4.98	चयन किया गया	
15.	वरि. वैज्ञानिक (कृषि आर्थिकी) काजरी क्षेत्रीय केन्द्र, जैसलमेर	3/97	66	10	05	03	4.5.98	1	12.5.98	चयन किया गया	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
16. वरि. वैज्ञानिक (कृषि आर्थिकी) डब्ल्यू टी सी ई आर, भुवनेश्वर	3/97	52	14	05	04	4.5.98	1	12.5.98		घयन किया गया	
17. वरि. वैज्ञानिक (जैव प्रौद्योगिकी) रा.शु.वा.अनु.केन्द्र, बीकानेर	3/97	65	09	01	शून्य	5.5.98	1	-		साक्षात्कार में उपस्थित नहीं हुए	
18. वरि. वैज्ञानिक (कृ.कंप्यूटर आवेदन) रा.शु.वा.अनु.केन्द्र, बीकानेर	3/97	64	05	01	शून्य	5.5.98	1	-		साक्षात्कार में उपस्थित नहीं हुए	
19. वरि. वैज्ञानिक (कृ.कंप्यूटर आवेदन) पी डी सी एस आर, मोदीपुरम	3/97	34	09	03	03	5.5.98	1	12.5.98		घयन किया गया	
20. वरि. वैज्ञानिक (एग्रोमटोलॉजी) पी डी सी एस आर, मोदीपुरम	3/97	48	07	03	01	12.5.98	1	14.5.98		उपयुक्त नहीं थे	
21. वरि. वैज्ञानिक (जैव रसायन) सी आई ए ई, भोपाल	3/97	63	09	04	03	15.5.98	1	18.5.98		घयन किया गया	
22. वरि. वैज्ञानिक (पुनःउत्पादक पीएचवाई) पी डी सी, मेरठ	3/97	55	10	5	4	15.5.98	1	18.5.98		घयन किया गया	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
23.	वरि. वैज्ञानिक (कृषि आर्थिकी) सी आई एफ ई, मुम्बई	3/97	36	13	7	6	18.5.98	1	19.5.98		घयन किया गया
24.	वरि. वैज्ञानिक (जैव रसायन) सी आई एफ ई, मुम्बई	3/97	41	15	4	3	18.5.98	1	19.5.98		घयन किया गया
25.	वरि. वैज्ञानिक (माइक्रोबायोलॉजी) सी आई एफ ई, मुम्बई	3/97	38	16	5	3	19.5.98	1	20.5.98		घयन किया गया
26.	वरि. वैज्ञानिक (बीटी/मत्स्य), सी आई एफ ई, मुम्बई	3/97	39	14	7	3	19.5.98	1	20.5.98		घयन किया गया
27.	वरि. वैज्ञानिक (प्राकृतिक मत्स्य), सी आई एफ ई, मुम्बई	3/97	35	13	5	4	18.5.98	1	19.5.98		घयन किया गया
28.	वरि. वैज्ञानिक (कृषि इंजीनियरी) सी आई एफ ई, मुम्बई	3/97	42	10	4	3	20.5.98	1	21.5.98		उपयुक्त नहीं थे
29.	वरि. वैज्ञानिक (इको-बोटनी) सी आई एफ ई, मुम्बई	3/97	40	09	3	3	20.5.98	1	21.5.98		उपयुक्त नहीं थे

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
30.	वरि. वैज्ञानिक (एल पी एम), पी डी सी एस आर, मोदीपुरम	3/97	50	16	06	4	21 5.98	1	21.5.98		चयन किया गया
31.	प्रधान वैज्ञानिक (कृषि आर्थिकी) पी डी सी एस आर, मोदीपुरम	3/97	29	14	11		21 5.98	1	28.5.98		चयन किया गया
32.	प्रधान वैज्ञानिक (जैव प्रौद्योगिकी) रा. खुम्बी अनु. केन्द्र, सोलन	3/97	59	19	02	शून्य	22 5.98	1			चयन किया गया
33.	प्रधान वैज्ञानिक (मृदा फर्टिलिटी) पी डी सी एस आर, मोदीपुरम	3/97	28	09	08	07	22 5.98	1	28.5.98		चयन किया गया
34.	प्रधान वैज्ञानिक (पौध प्रजनन) रा. कृषि वानिकी अनु. केन्द्र, झांसी	3/97	31	09	05	04	26 5.98	1	3.6.98		चयन किया गया
35.	प्रधान वैज्ञानिक (वानिकी/कृषि वानिकी) रा. कृषि वानिकी अनु. केन्द्र, झांसी	3/97	32	20	10	09	27 5.98	1	3.6.98		चयन किया गया

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
36.	प्रधान वैज्ञानिक (वानिकी) काजरी, जोधपुर	3/97	26	12	07	06	28 5.98	1	3.6.98	चयन किया गया	
37.	प्रधान वैज्ञानिक (ब्लड प्रोटेस्ट) सी सी एस, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसान, भा.क.अ.प. मुख्या. के अंतर्गत	3/97	13	8	07	06	28 5.98	1	3.6.98	चयन किया गया	
38.	प्रधान वैज्ञानिक (बीज प्रौद्योगिकी) काजरी, जोधपुर	4/97	17	9	06	06	28 5.98	1	8.6.98	चयन किया गया	
39.	प्रधान वैज्ञानिक भा.क.सां.अनु. संस्थान, नई दिल्ली	4/97	01	12	08	08	29 5.98	1	8.6.98	चयन किया गया	
40.	प्रधान वैज्ञानिक (प्राकृतिक पशु मत्स्य) सोवा, चेन्नई	3/97	23	15	10	9	29 5.98	1	8.6.98	चयन किया गया	
41.	प्रधान वैज्ञानिक (जैव प्रौद्योगिकी) रा.डे.अनु. सं०, करनाल	4/97	3	9	7	7	1. 6.98	1	25.6.98	चयन किया गया	
42.	प्रधान वैज्ञानिक (ए एन.आर ई पी) रा.डे.अनु. सं. करनाल	4/97	2	18	11	9	2. 6.98	1	8.6.98	चयन किया गया	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
43.	परियोजना समन्वयक (फलों) भा. बा. अनु. सं. बंगलौर	3/97	12	16	10	8	29.6.98	1	31.7.98		चयन किया गया
44.	वरि. वैज्ञानिक (बागवानी) रा.केला अनु.केन्द्र, त्रिची	4/97	19	5	4	4	29.6.98	1	31.7.98		चयन किया गया
45.	वरि. वैज्ञानिक (जैव प्रौद्योगिकी) रा.मिथुन अनु. केन्द्र, गंगटोक	4/97	20	5	1	1	30.6.98	1	31.7.98		चयन किया गया
46.	वरि. वैज्ञानिक (जैव प्रौद्योगिकी) सब्जी अनु. प्रायोजना निवेशालय, वाराणसी	4/97	13	12	03	03	30.6.98	1	31.7.98		चयन किया गया
47.	वरि. वैज्ञानिक (बागवानी) सब्जी अनु. प्रायोजना निवेशालय, वाराणसी	4/97	12	21	08	08	30.6.98	1	31.7.98		चयन किया गया
48.	प्रधान वैज्ञानिक (पौध रोग विज्ञान) भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, कानपुर	4/97	09	15	12	8	26.8.98	1	27.8.98		चयन किया गया
49.	प्रधान वैज्ञानिक (पौध फिजियोलॉजी) भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, कानपुर	4/97	15	17	09	06	27.8.98	1	28.8.98		चयन किया गया

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
50.	परियोजना समन्वयक (माइक्रोबायोलॉजिकल डिकमपोजिटिव एंड रिसेलाइन आफ फार्म एंड सिटी वैस्टेस आई आई एस एस, भोपाल	3/97	09	13	04	02	31.8.98	1	1.9.98		घयन किया गया
51.	परियोजना समन्वयक (पलम) सी पी सी आर आई, कासारगौड़	3/97	11	09	08	06	31.8.98	1	1.9.98		घयन किया गया
52.	वरि. वैज्ञानिक (मशीन इंजी.) सी आई ए ई, भोपाल	1/98	24	04	02	कोई नहीं	1.9.98	1	-		साक्षात्कार में उपस्थित नहीं हुए
53.	प्रधान वैज्ञानिक (एग्रोनोमी) डी ओ आर, हैदराबाद	1/98	03	12	11	09	1.9.98	1	4.9.98		घयन किया गया
54.	प्रधान वैज्ञानिक (पशु पुनःउत्पादन) भा.कृ.अ.प. परिसर, गोवा	1/98	08	10	08	03	2.9.98	1	4.9.98		घयन किया गया
55.	प्रधान वैज्ञानिक (बाग.), भा.कृ.अ.प. परिसर, गोवा	1/98	07	05	05	04	2.9.98	1	4.9.98		घयन किया गया
56.	वरि. वैज्ञानिक (प्रजनन) रा.मिथुन अनु. केन्द्र, गंगटोक	1/98	25	04	02	01	3.9.98	1	4.9.98		घयन किया गया

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
57.	वरि. वैज्ञानिक (नेमैटोलॉजी) भा.दलहन अनु. संस्थान, कानपुर	1/98	16	08	06	06	3.9.98	1	4.9.98	चयन किया गया	
58.	वरि. वैज्ञानिक भा.चरा.एवं चारा अनु. संस्थान, झांसी	2/98	31	29	23	21	7.9.98	1	9.9.98	चयन किया गया	
59.	परियोजना समन्वयक (चारा फसलें) भा.चरागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान, झांसी	2/98	38	22	17	14	8.9.98	1	9.9.98	चयन किया गया	
60.	वरि. वैज्ञानिक (पौध प्रजनन) भा.दलहन अनु. संस्थान, कानपुर	4/97	14	41	17	14	9.9.98	1	11.9.98	चयन किया गया	
61.	प्रधान वैज्ञानिक (कृषि विस्तार) भा.दलहन अनु. संस्थान, कानपुर	4/97	10	4	3	3	10.9.98	1	14.9.98	चयन किया गया	
62.	प्रधान वैज्ञानिक (कृषि विस्तार) राष्ट्रीय महिलाओं के लिए अनु. केन्द्र, भुवनेश्वर	4/97	11	9	5	4	10.9.98	1	11.9.98	चयन किया गया	
63.	प्रधान वैज्ञानिक (आनुवंशिक एंड सैटोजेनेटिक) राष्ट्रीय पौध एवं जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान केन्द्र, भा.कृ.अ.सं. नई दिल्ली	4/97	08	08	06	06	10.9.98	1	11.9.98	चयन किया गया	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
64.	प्रधान वैज्ञानिक (मत्स्य तथा मात्स्यकी विज्ञान) सी आई एफ ए भुवनेश्वर	1/98	5	38	30	25	14.9.98	3	17.9.98		चयन किया गया
65.	प्रधान वैज्ञानिक (मत्स्य तथा मात्स्यकी विज्ञान) आई आई सी एफ आर आई, बैरकपुर	4/97	6	47	31	26	18.9.98	1	18.9.98		चयन किया गया
66.	प्रधान वैज्ञानिक (कृषि आर्थिकी) आई आई सी एफ आर आई, बैरकपुर	4/97	4	9	7	7	21.9.98	1	21.9.98		चयन किया गया
67.	प्रधान वैज्ञानिक (कृषि विस्तार) आई आई सी एफ आर आई, बैरकपुर	4/97	5	3	2	2	21.9.98	1	21.9.98		चयन किया गया
68.	प्रधान वैज्ञानिक (मृदा विज्ञान) आई आई सी एफ आर आई, बैरकपुर	4/97	7	13	9	9	22.9.98	1	21.9.98		चयन किया गया
69.	वरि. वैज्ञानिक (पशु पोषण) केन्द्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पोर्ट ब्लेयर	4/97	18	5	4	4	22.9.98	1	24.9.98		चयन किया गया
70.	प्रधान वैज्ञानिक (मत्स्य तथा मात्स्यकी विज्ञान)	1/98	9	27	16	5	23.9.98	1	28.9.98		चयन किया गया

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
71.	वरि. वैज्ञानिक (पौध प्रजनन) सी एस एंड डब्ल्यू सी आर एंड टी आई, देहरादून	4/97	16	14	12	05	24.9.98	1	28.9.98	चयन किया गया	
72.	वरि. वैज्ञानिक (मृ. वि./मृ. रसा./फ्रिट/माइक्रो.) भारतीय बलहन अनुसंधान संस्थान, कानपुर	1/98	17	25	14	09	8.10.98	1	12.10.98	चयन किया गया	
73.	संयुक्त निदेशक (अनुसंधान) भा.कृ.अ.सं., नई दिल्ली	1/98	2	32	28	20	13.10.98	1	15.10.98	चयन किया गया	
74.	संयुक्त निदेशक (विस्तार) भा.कृ.अ.सं., नई दिल्ली	1/98	1	19	16	13	14.10.98	1	18.10.98	चयन किया गया	
75.	वरि. वैज्ञानिक (पौध प्रजनन) विवेकानन्द पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, अल्मोड़ा	1/98	11	20	18	12	15.10.98	2	21.10.98	चयन किया गया	
76.	ए.डी.जी. (अंतःस्थलीय मात्स्यिकी) भा.कृ.अ.प. मुख्यालय नई दिल्ली	2/98	2	16	6	6	21.10.98	1	23.10.98	चयन किया गया	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
77.	निदेशक आई आई एफ टी, कोचीन	2/98	30	7	5	5	21.10.98	1	23.10.98		चयन किया गया
78.	परियोजना निदेशक (डब्ल्यू टी सी) भा. कृ. अ. सं. नई दिल्ली	2/98	32	16	13	10	26.10.98	1	28.10.98		चयन किया गया
79.	परियोजना समन्वयक (मसाले) भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान, कालीकट	2/98	33	13	10	6	27.10.98	1	28.10.98		चयन किया गया
80.	निदेशक पूर्वी क्षेत्र के लिए जल प्रौद्योगिकी केन्द्र, भुवनेश्वर	4/98	97	19	15	10	2.11.98	1	9.11.98		चयन किया गया
81.	प्रधान वैज्ञानिक "नार्ग" हैदराबाद	2/98	41	98	28	22	3.11.98	8	9.11.98		चयन किया गया
82.	वरि. वैज्ञानिक (कृषि विस्तार), भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, कानपुर	1/98	13	13	8	6	9.11.98	1	9.11.98		चयन किया गया
83.	प्रधान वैज्ञानिक (बागवानी) रा. औषधीय एवं संगधीय पौध अनुसंधान केन्द्र आनन्द	1/98	4	6	3	1	5.11.98	1	9.11.98		उपयुक्त नहीं पाया गया

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
84.	वरि. वैज्ञानिक (पौध प्रजनन) राष्ट्रीय तेल ताड़ अनुसंधान केन्द्र, इलुरु	1/98	26	11	7	2	5.11.98	1	9.11.98		उपयुक्त नहीं पाया गया
85.	वरि. वैज्ञानिक (मत्स्य तथा मात्स्यिकी मत्स्य रोगविज्ञान) सीवा, चेन्नई	1/98	20	26	11	7	5.11.98	1	9.11.98		चयन किया गया
86.	वरि. वैज्ञानिक मत्स्य तथा मात्स्यिकी सीवा, चेन्नई	1/98	19	27	8	4	6.11.98	1	12.11.98		चयन किया गया
87.	वरि. वैज्ञानिक (कृषि विस्तार) विवेकानन्द पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, अल्मोड़ा	1/98	12	12	7	5	9.11.98	1	9.11.98		चयन किया गया
88.	वरि. वैज्ञानिक (कृषि माइक्रोबायोलॉजी) भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, कानपुर	1/98	15	6	3	1	10.11.98	1	12.11.98		चयन किया गया
89.	वरि. वैज्ञानिक (सैटोजन तथा प्रजनन) भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर	1/98	14	21	10	7	10.11.98	1	12.11.98		चयन किया गया
90.	वरि. वैज्ञानिक (कृषि सांख्यिकी) भारतीय मूदा विज्ञान संस्थान, भोपाल	3/98	82	3	2	2	11.11.98	1	16.11.98		चयन किया गया

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
91.	निदेशक राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केन्द्र, इन्दौर	2/98	28	17	13	7	11.11.98	1	16.11.98		चयन किया गया
92.	वरि. वैज्ञानिक (कृषि आर्थिकी) भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान, भोपाल	3/98	84	10	8	4	12.11.98	1	16.11.98		चयन किया गया
93.	परियोजना समन्वयक (पशु ऊर्जा उपयोग) केन्द्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान, भोपाल	2/98	34	7	4	3	12.11.98	1	16.11.98		चयन किया गया
94.	वरि. वैज्ञानिक (जैव रसायन) भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान, भोपाल	3/98	83	2	2	1	13.11.98	1	16.11.98		चयन किया गया
95.	निदेशक राष्ट्रीय गेहूं विज्ञान अनुसंधान केन्द्र, जबलपुर	4/98	94	14	7	6	13.11.98	1	16.11.98		चयन किया गया
96.	प्रधान वैज्ञानिक (जैव प्रौद्योगिकी) राष्ट्रीय जैव प्रौद्योगिकी पौध अनुसंधान केन्द्र, भा.कृ.अ.सां., नई दिल्ली	2/98	44	18	14	12	16.11.98	1	24.11.98		चयन किया गया
97.	प्रधान वैज्ञानिक (जैव प्रौद्योगिकी) राष्ट्रीय जैव प्रौद्योगिकी पौध अनुसंधान केन्द्र, भा.कृ.अ.सां., नई दिल्ली	2/98	46	14	9	7	17.11.98	1	24.11.98		चयन किया गया

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
98.	प्रधान वैज्ञानिक (जैव प्रौद्योगिकी) राष्ट्रीय जैव प्रौद्योगिकी पौध अनुसंधान केन्द्र, भा.कृ.अ.सं., नई दिल्ली	2/98	45	18	7	6	17.11.98	1	24.11.98	चयन किया गया	
99.	प्रधान वैज्ञानिक (जैव प्रौद्योगिकी) राष्ट्रीय जैव प्रौद्योगिकी पौध अनुसंधान केन्द्र, भा.कृ.अ.सं., नई दिल्ली	2/98	43	23	14	9	18.11.98	1	24.11.98	चयन किया गया	
100.	प्रधान वैज्ञानिक (मत्स्य मूल बायोलोजी) सीवा, चेन्नई	1/98	18	24	8	8	23.11.98	1	24.11.98	चयन किया गया	
101.	वरि. वैज्ञानिक (बागवानी) जैड सी यूनिट VI काजरी, जोधपुर	1/98	22	16	11	9	30.11.98	1	2.12.98	चयन किया गया	
102.	वरि. वैज्ञानिक राष्ट्रीय शुष्क उद्यान अनुसंधान केन्द्र, वीकानेर	1/98	21	17	12	8	30.11.98	1	2.12.98	चयन किया गया	
103.	वरि. वैज्ञानिक (कृषि विस्तार) जैड सी यूनिट VI काजरी, जोधपुर	1/98	23	10	4	3	30.11.98	1	2.12.98	चयन किया गया	
104.	प्रधान वैज्ञानिक (ए जी एंड बी) पशु परियोजना निदेशालय मेरठ	2/98	49	11	10	5	1.12.98	1	2.12.98	चयन किया गया	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
105.	प्रधान वैज्ञानिक (मत्स्य आनुवंशिक और पशु प्रजनन) केन्द्रीय मत्स्य शिक्षा संस्थान, मुम्बई	2/98	50	9	9	6	16.11.98	1	24.11.98		चयन किया गया
106.	निदेशक राष्ट्रीय तेलताड़ अनुसंधान केन्द्र पेडावेगी	3/98	55	5	4	3	2.12.98	1	8.12.98		चयन किया गया
107.	निदेशक राष्ट्रीय औषधीय एवं संगधीय पौध अनुसंधान केन्द्र, आनन्द	4/98	92	12	3	3	2.12.98	1	8.12.98		चयन किया गया
108.	निदेशक राष्ट्रीय आर्किड्स अनुसंधान केन्द्र पैयांग, गंगटोक	4/98	98	4	1		2.12.98	1			साक्षात्कार में अनुपस्थित
109.	वरिष्ठ वैज्ञानिक (कृषि अर्थशास्त्र) एन सी ए ई पी आर, नई दिल्ली	2/98	53	11	5	2	3.12.98	1	8.12.98		चयन किया गया
110.	प्रधान वैज्ञानिक (बीज प्रौद्योगिकी) भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली	2/98	47	24	18	17	3.12.98	1	8.12.98		चयन किया गया
111.	वरि. वैज्ञानिक (मृ. विज्ञान/भुदा रसायन/ सूक्ष्म उर्वरक विज्ञान) राष्ट्रीय तोरिया एवं अनुसंधान केन्द्र, भरतपुर	2/98	52		18	14	8	4.12.98	1	8.12.98	चयन किया गया

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
112.	वरि. वैज्ञानिक (प्रजनन) राष्ट्रीय तोरिया एवं अनुसंधान केन्द्र, भरतपुर	2/98	51	17	10	7	4.12.98	1	8.12.98	चयन किया गया	
113.	परियोजना समन्वयक (बेटेलविन) भा.वा.अनु. संस्थान, बंगलौर	3/98	57	12	7	4	8.12.98	1	11.12.98	चयन किया गया	
114.	वरि. वैज्ञानिक (जैव प्रौद्योगिकी) राष्ट्रीय औषधीय एवं संगधीय पौध अनुसंधान केन्द्र, आनन्द	3/98	86	7	3	1	8.12.98	1	11.12.98	चयन किया गया	
115.	वरि. वैज्ञानिक (कृषि सांख्यिकी) राष्ट्रीय तोरिया एवं अनुसंधान केन्द्र, भरतपुर	3/98	80	3	1	1	9.12.98	1	11.12.98	चयन किया गया	
116.	परियोजना समन्वयक (शुष्क फलियां) भा.कृ.अ.प. मुख्या. के अंतर्गत राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर	3/98	65	14	10	5	9.12.98	1	11.12.98	चयन किया गया	
117.	परियोजना समन्वयक (घना) भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर	2/98	36	18	12	8	16.12.98	1	16.12.98	चयन किया गया	
118.	परियोजना समन्वयक (मुलार्प) भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर	2/98	35	16	12	8	16.12.98	1	16.12.98	चयन किया गया	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
119.	परियोजना समन्वयक (अरहर) भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर	2/98	37	17	13	8	17.12.98	1	23.12.98		चयन किया गया
120.	प्रधान, एन वी एस एस एंड एल यू पी क्षेत्रीय केन्द्र, बंगलोर, एन वी एस एस एंड एल यू पी, नागपुर के अंतर्गत	2/98	40	9	7	3	17.12.98	1	23.12.98		चयन किया गया
121.	प्रधान एन वी एस एस एंड एल यू पी क्षेत्रीय केन्द्र, जोरहट एन वी एस एस एंड एल यू पी, नागपुर के अंतर्गत	2/98	39	5	4	3	18.12.98	1	23.12.98		चयन किया गया
122.	प्रधान एन वी एस एस एंड एल यू पी क्षेत्रीय केन्द्र, दिल्ली एन वी एस एस एंड एल यू पी, नागपुर के अंतर्गत	3/98	70		14	8	18.12.98	1	23.12.98		चयन किया गया
123.	प्रधान वैज्ञानिक (पौध रोग विज्ञान) एन सी आई पी एम, नई दिल्ली	3/98	78	37	28	22	21.12.98	1	23.12.98		चयन किया गया
124.	प्रधान वैज्ञानिक (आनुवंशिक तथा प्रजनन मृगीपालन) पी डी पी, हैदराबाद	3/98	77	7	6	4	23.12.98	1	5.1.99		चयन किया गया

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
125.	वरि. वैज्ञानिक (पशु पोषण) राष्ट्रीय मिथुन अनुसंधान केन्द्र झरनापानी, नागालैंड	3/98	88	3	1	1	23.12.98	1	5.1.99	चयन किया गया
126.	वरि. वैज्ञानिक (ए जी बी), राष्ट्रीय मिथुन अनुसंधान केन्द्र झरनापानी, नागालैंड	3/98	89	7	3	1	23.12.98	1	5.1.99	चयन किया गया
127.	प्रधान रोग विज्ञान, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, इज्जतनगर	3/98	71	7	7	6	24.12.98	1	5.1.99	चयन किया गया
128.	वरि. वैज्ञानिक (मत्स्य जैव प्रौद्योगिकी) सी आई एफ ए, भुवनेश्वर	3/98	90	12	5	4	24.12.98	1	5.1.99	चयन किया गया
130.	प्रधान वैज्ञानिक (कृषि एंटोमॉलोजी) एन आई सी पी एम, नई दिल्ली	3/98	79	41	29	27	22.12.98	2	5.1.99	चयन किया गया
131.	प्रधान सी टी सी आर आई क्षेत्रीय केन्द्र, भुवनेश्वर	3/98	67	6	6	5	24.12.98	1	5.1.99	चयन किया गया
132.	परियोजना समन्वयक (नमटोडस) समन्वय सैल, नमटोलॉजी प्रभाग, आई ए आर आई, नई दिल्ली	3/98	66	13	12	11	4.1.99	1	5.1.99	चयन किया गया

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
133.	निदेशक कृषि में महिलाओं के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्र, भुवनेश्वर	4/98		91	26	9	7	4.1.99	1	7.1.99	चयन किया गया
134.	प्रधान कृषि वानिकी प्रभाग, आई ए आर आई, नई दिल्ली	3/98		68	18	17	13	5.1.99	1	11.1.99	चयन किया गया
135.	प्रधान समन्वयक (पशु पोषण) उ० पू० पर्वतीय क्षेत्र के लिए भा.कृ.अ.प. परिसर, बड़ापानी	3/98		73	5	8	4	6.1.99	1	11.1.99	चयन किया गया
136.	प्रधान वैज्ञानिक (मृदा रसायन/माइक्रो./फ्रटीलिटी) उ० पू० पर्वतीय क्षेत्र के लिए भा.कृ.अ.प. परिसर, बड़ापानी	3/98		103	7	7	4	6.1.99	1	11.1.99	चयन किया गया
137.	प्रधान वैज्ञानिक (एग्रोनोमी) उ० पू० पर्वतीय क्षेत्र के लिए भा.कृ.अ.प. परिसर, बड़ापानी	3/98		72	9	7	5	6.1.99	1	14.1.99	चयन किया गया
138.	प्रधान वैज्ञानिक (मृदा एवं जल संरक्षण ऊर्जा) उ० पू० पर्वतीय क्षेत्र के लिए भा.कृ.अ.प. परिसर, बड़ापानी	3/98		75	03	02	02	7.1.99	1	11.1.99	चयन किया गया

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
139.	प्रधान वैज्ञानिक (पौध रोग विज्ञान) उ० पू० पर्वतीय क्षेत्र के लिए भा.कृ.अ.प. परिसर, बड़ापानी	3/98	76	18	11	4	7.1.99	1	11.1.99	चयन किया गया	
140.	प्रधान वैज्ञानिक (कृषि आर्थिकी) उ० पू० पर्वतीय क्षेत्र के लिए भा.कृ.अ.प. परिसर, बड़ापानी	4/98	104	08	04	04	7.1.99	1	11.1.99	चयन किया गया	
141.	वरि. वैज्ञानिक राष्ट्रीय संगंधीय एवं औषधीय पौधे, आनन्द	3/98	85	5	4	2	11.1.99	1	14.1.99	चयन किया गया	
142.	प्रधान वैज्ञानिक (बागवानी) उ० पू० पर्वतीय क्षेत्र के लिए भा.कृ.अ.प. परिसर, बड़ापानी	3/98	74	9	8	3	11.1.99	1	19.1.99	चयन किया गया	
143.	वरि. वैज्ञानिक (पौध रोग विज्ञान) राष्ट्रीय तोरिया एवं सरसो अनुसंधान केन्द्र, भरतपुर	3/98	81	9	6	6	11.1.99	1	14.1.99	चयन किया गया	
144.	प्रधान फल फसले प्रभाग, भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान, बंगलौर	4/98	101	10	8	5	12.1.99	1	14.1.99	उपयुक्त नहीं थे	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
145.	वरि. वैज्ञानिक (कृषि में कंप्यूटर अनुप्रयोग) भा.क.अ.प. मुख्यालय, नई दिल्ली	6/98	176	11	6	5	13.1.99	1	20.1.99		चयन किया गया
146.	परियोजना समन्वयक (अलसी) डी ओ आर हैदराबाद	3/98	60	15	12	8	13.1.99	1	20.1.99		चयन किया गया
147.	परियोजना समन्वयक (तिल व रामतिल) डी ओ आर, हैदराबाद	3/98	61	19	15	8	14.1.99	1	20.1.99		चयन किया गया
148.	प्रधान पौध शरीर क्रिया विज्ञान प्रभाग, आई ए आर आई, नई दिल्ली	3/98	69	10	10	6	18.1.99	1	21.1.99		चयन किया गया
149.	निदेशक राष्ट्रीय याक अनुसंधान केन्द्र, तिरांग, अरुणाचल प्रदेश	4/98	95	16	12	7	19.1.99	1	21.1.99		चयन किया गया
150.	मुख्य प्रशिक्षण आयोजक (टी टी सी), सी आई एफ ए, भुवनेश्वर	4/98	106	10	9	4	19.1.99	1	21.1.99		चयन किया गया
151.	वरि. वैज्ञानिक (शरीर क्रिया विज्ञान) राष्ट्रीय मिथुन अनुसंधान केन्द्र, झरनापानी, नागालैंड	4/98	107	4	2	1	19.1.99	1	21.1.99		चयन किया गया
152.	उप महानिदेशक (पशु विज्ञान), भा.क.अ.प. मुख्यालय, नई दिल्ली	4/98	84	19	15	13	21.1.99	1	21.1.99		चयन किया गया

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
153.	प्रधान सूक्ष्म जीवविज्ञान प्रभाग, फरमनटेशन एवं जैव प्रौद्योगिकी सी आई एफ टी, कोचीन	6/98	147	5	4	3	22.1.99	1	27.1.99	चयन किया गया	
154.	निदेशक केन्द्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पोर्ट ब्लेयर	4/98	96	29	19	7	25.1.99	1	27.1.99	चयन किया गया	
155.	प्रधान सी पी सी आर आई, क्षेत्रीय केन्द्र, बिताल	5/98	120	4	3	3	1.2.99	1	2.2.99	चयन किया गया	
156.	निदेशक राष्ट्रीय केला अनुसंधान केन्द्र, तिची	5/98	117	16	6	6	1.2.99	1	2.2.99	चयन किया गया	
157.	प्रधान सामाजिक विज्ञान प्रभाग, सी पी सी आर आई, कासारगोड़	5/98	119	5	3	3	1.2.99	1	2.2.99	चयन किया गया	
158.	प्रधान वैज्ञानिक (बागवानी) राष्ट्रीय आर्किड अनुसंधान केन्द्र, गंगटोक	5/98	123	4	2	2	1.2.99	1	2.2.99	चयन किया गया	
159.	सहायक महानिदेशक (डेयरिंग एवं पशु उत्पादन प्रौद्योगिकी) भा.कृ.अ.प. मुख्यालय नई दिल्ली	5/98	114	9	7	6	2.2.99	1	3.2.99	चयन किया गया	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
160.	निदेशक सी एम एफ आर आई, कोचीन	5/98		116	9	4	4	2.2.99	1	3.2.99	चयन किया गया
161.	प्रधान वैज्ञानिक (जैव प्रौद्योगिकी) सी आई एफ ई, मुम्बई	5/98		124	4	2	2	2.2.99	1	3.2.99	चयन किया गया
162.	संयुक्त निदेशक व प्रभारी अधिकारी, आई वी आर आई के अधीन क्षेत्रीय केन्द्र, हेव्वल, बंगलौर, आई वी आर आई, इज्जतनगर	4/98		99	7	5	3	3.2.99	1	5.2.99	चयन किया गया
163.	संयुक्त निदेशक (अनु.) भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, इज्जतनगर	4/98		100	23	18	15	3.2.99	1	5.2.99	चयन किया गया
164.	सी टी ओ (टी टी सी) राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान, करनाल	5/98		128	31	21	17	4.2.99	1	5.2.99	चयन किया गया
165.	प्रधान लाख प्रभाग, पी एंड पी डी, भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान, रांची	5/98		118	6	3	3	8.2.99	1	9.2.99	चयन किया गया
166.	वरि. वैज्ञानिक (बागवानी) आई ए आर आई, नई दिल्ली	4/98		109	17	15	10.2.99	1	9.2.99	चयन किया	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
167.	वरि. वैज्ञानिक (पौध प्रजनन) आई आई एस एस, भोपाल	4/98	112	7	5	2	9.2.99	1	11.2.99	चयन किया गया	
168.	वरि. वैज्ञानिक (मृदा माइक्रो.) एन आर सी एम पी, आनन्द	4/98	108	19	15	9	9.2.99	2	11.2.99	चयन किया	
169.	क्षेत्रीय समन्वयक (तकनीकी परियोजना हस्तारण के लिए क्षेत्रीय समन्वयक एकक) क्षेत्र V सी एस ए यू एंड टी, कानपुर	6/98	144	30	23	16	10.2.99	1	11.2.99	चयन किया	
170.	क्षेत्रीय समन्वयक टी एंड टी परियोजना के लिए क्षेत्रीय समन्वयक एकक क्षेत्र I, पी ए यू, लुधियाणा	6/98	145	20	14	9	10.2.99	1	11.2.99	चयन किया	
171.	वरि. वैज्ञानिक (जैव प्रौद्योगिकी) राष्ट्रीय पौध जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान केन्द्र, आई ए आर आई, नई दिल्ली	5/98	132	22	10	7	15.2.99	1	18.2.99	चयन किया	
172.	वरि. वैज्ञानिक (जैव प्रौद्योगिकी) राष्ट्रीय पौध जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान केन्द्र, आई ए आर आई, नई दिल्ली	5/98	129	18	7	3	15.2.99	1	18.2.99	चयन किया	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
173.	वरि. वैज्ञानिक (जैव प्रौद्योगिकी) राष्ट्रीय पौध जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान केन्द्र, आई ए आर आई, नई दिल्ली	5/98	130	34	16	13	16.2.99	1	18.2.99		चयन किया
174.	वरि. वैज्ञानिक (जैव प्रौद्योगिकी) राष्ट्रीय पौध जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान केन्द्र, आई ए आर आई, नई दिल्ली	5/98	131	18	8	4	17.2.99	1	19.2.99		उपयुक्त नहीं थे
175.	वरि. वैज्ञानिक (मृगीपालन विज्ञान) केन्द्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पोर्ट ब्लेयर	5/98	133	10	7	6	17.2.99	1	19.2.99		चयन किया
176.	वरि. वैज्ञानिक (मृदा रसायन एवं जल संरक्षण) केन्द्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पोर्ट ब्लेयर	5/98	136	3	1	1	17.2.99	1	19.2.99		चयन किया
177.	वरि. वैज्ञानिक (एफ एम एंड पी) केन्द्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पोर्ट ब्लेयर	5/98	139	4	1	1	18.2.99	1	19.2.99		उपयुक्त नहीं थे
178.	वरि. वैज्ञानिक (एल पी एम) केन्द्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पोर्ट ब्लेयर	5/98	137	9	5	5	18.2.99	1	19.2.99		चयन किया

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
179.	वरि. वैज्ञानिक (कृषि वानिकी) केन्द्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पोर्ट ब्लेयर	5/98		134	11	5	3	18.2.99	1	19.2.99	चयन किया गया
180.	वरि. वैज्ञानिक (इंटोमोलॉजी) केन्द्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पोर्ट ब्लेयर	5/98		135	16	8	6	18.2.99	1	19.2.99	चयन किया
181.	वरि. वैज्ञानिक (पौध प्रजनन) केन्द्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पोर्ट ब्लेयर	5/98		138	10	6	4	19.2.99	1	23.2.99	चयन किया
182.	प्रधान डेयरी विस्तार प्रभाग, राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान, करनाल	6/98		156	4	3	2	25.2.99	1	3.3.99	चयन किया
183.	वरि. वैज्ञानिक (बीज प्रौद्योगिकी) भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली	4/98		111	22	10	6	26.2.99	1	3.3.99	चयन किया
184.	वरि. वैज्ञानिक (बागवानी) भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली	4/98		110	12	10	7	26.2.99	1	3.3.99	चयन किया
185.	सहायक महानिदेशक (कृषि विज्ञान केन्द्र) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद मुख्यालय	5/98		115	20	12	9	25.2.99	1	3.3.99	चयन किया

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
186.	प्रधान (मत्स्य पालन) सी आई वी ए, चैन्नई	6/98	148	11	10	8	4.3.99	1	8.3.99	चयन किया गया
187.	प्रधान (मत्स्य पालन) सी आई वी ए, चैन्नई	6/98	149	12	11	9	4.3.99	1	8.3.99	चयन किया
188.	प्रधान पौध रोग विज्ञान प्रभाग भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान, बंगलौर	6/98	146	10	7	6	18.3.99	1	22.2.99	चयन किया
189.	प्रधान वैज्ञानिक (एस डब्ल्यू सी ई) सी एस एस आर ई, करनाल	6/98	158	4	3	3	22.2.99	1	24.3.99	चयन किया
190.	प्रधान मकैनिकल प्रौद्योगिकी प्रभाग सी आई आर सी ओ टी, मुम्बई	6/98	151	7	3	3	22.2.99	1	24.3.99	चयन किया
191.	वरि. वैज्ञानिक (बीज प्रौद्योगिकी) भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान, बंगलौर	6/98	175	4	3	2	18.3.99	1	22.3.99	चयन किया
192.	प्रधान वैज्ञानिक (शरीर क्रिया विज्ञान) सी आई आर जी, मद्रास	5/98	126	12	6	5	18.3.99	2	24.3.99	चयन किया

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
193.	प्रधान पैरासिटोलॉजी प्रभाग भारतीय पशुचिकित्सा अनुसंधान संस्थान, इज्जतनगर	5/98	121	9	7	5+1	22.3.99	1	24.3.99		चयन किया गया
194.	प्रधान वैज्ञानिक (ए जी एंड बी) राष्ट्रीय इक्युआनस अनुसंधान केन्द्र दिसार	5/98	125	9	8	3	22.3.99	1	24.3.99		चयन किया
			2550	1615	1161			213			

परिशिष्ट-X

(अनुच्छेद 3.4 के अनुसार)

उन रिक्त पदों की संख्या जिनके साक्षात्कार के समय कोई भी उम्मीदवार योग्य नहीं पाया गया

क्र. सं०	पद का नाम	विज्ञापन संख्या/ मद संख्या	साक्षात्कार के लिए बुलाये गये प्रत्याशियों की सं०	साक्षात्कार में उपस्थित प्रत्याशियों की संख्या
1.	वरिष्ठ वैज्ञानिक (एग्रोमोटोलॉजी) पी डी सी एस आर, मोदीपुरम	3/97 (48)	03	01
2.	वरिष्ठ वैज्ञानिक (कृषि इंजीनियरिंग) सी आई एफ ई, मुम्बई	3/97(42)	04	03
3.	वरिष्ठ वैज्ञानिक (इको-बोटनी) सी आई एफ ई, मुम्बई	3/97(40)	03	03
4.	प्रधान वैज्ञानिक (एनिमल रिप) भा.कृ.अ.प. परिसर, गोवा	1/98(8)	08	03
5.	प्रधान, फलों वाली फसलें प्रभाग भा.बा.अनु. सं., बंगलौर	4/98(101)	08	05
6.	प्रधान वैज्ञानिक (जैव प्रौद्योगिकी) सी आई एफ ई, मुम्बई	5/98(124)	02	02
7.	वरिष्ठ वैज्ञानिक (जैव प्रौद्योगिकी) एन आर सी ऑन प्लांट बायो-टेक्., आई ए आर आई, नई दिल्ली	5/98(131)	08	04
8.	प्रधान वैज्ञानिक (एस डब्ल्यू सी ई), सी एस एस आर आई, करनाल	6/98(158)	03	03
9.	प्रधान वैज्ञानिक (बागवानी) रा.स.एवं ओ.पौधे अनुसंधान केन्द्र, आनन्द,	1/98(4)	03	01
10.	वरिष्ठ वैज्ञानिक (पौध प्रजनन) राष्ट्रीय तेल ताड़ अनुसंधान केन्द्र, इल्लूरु	1/98(36)	07	02
11.	वरिष्ठ वैज्ञानिक (एफ एम एंड पी) केन्द्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पोर्ट ब्लेयर	5/98 (139)	01	01

परिशिष्ट-XI

(अनुच्छेद 3.4 के अनुसार)

1.4.98 से 31.3.99 की अवधि के दौरान नहीं भरे जाने वाले पदों की संख्या, क्योंकि उनके लिए आवेदन पत्रों की जांच के समय, कोई भी उम्मीदवार योग्य नहीं पाया गया

क्र. सं०	पद का नाम	पद की संख्या	विज्ञापन सं०/ मद संख्या	प्रत्याशियों की सं०
1.	वरिष्ठ वैज्ञानिक (एस एंड डब्ल्यू सी ई) विवेकानन्द पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, अल्मोड़ा	1	1/98 (10)	4
2.	प्रधान वैज्ञानिक राष्ट्रीय नील हरित शैवाल के संक्षरण व उपयोग के लिए केन्द्र, भा.कृ.अ.सं., नई दिल्ली	1	2/98(48)	3
3.	वरिष्ठ वैज्ञानिक (कृषि इंजीनियरी) उ० पू० पर्वतीय क्षेत्र के लिए भा.कृ.अ.प. अनुसंधान परिसर, बड़ापानी	1	7/98(192)	3
4.	वरिष्ठ वैज्ञानिक (मकैनिकल इंजी.) भारतीय लाय्ब अनुसंधान संस्थान, रांची	1	4/98(113)	1
5.	प्रधान वैज्ञानिक (बागवानी) राष्ट्रीय द्राक्ष अनुसंधान केन्द्र, पुणे	1	6/98 (162)	2
6.	वरिष्ठ वैज्ञानिक (जैव प्रौद्योगिकी) केन्द्रीय मत्स्य शिक्षा संस्थान, मुम्बई	1	3/97(39)	7
7.	वरिष्ठ वैज्ञानिक (कंप्यूटर एप्लीकेशन) केन्द्रीय मत्स्य शिक्षा संस्थान, मुम्बई	1	3/97 (43)	6

परिशिष्ट-XII

(अनुच्छेद 3.5 के अनुसार)

1.4.98 से 31.3.99 तक की अवधि के दौरान अधिसूचित किये जाने के बाद भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा वापस लिये गये पदों का विवरण

क्र० सं०	पद का नाम	विज्ञान सं०/ मद सं०	आवेदनों की सं०
1.	परियोजना समन्वयक (रोडिनेट नियंत्रक) केन्द्रीय रुक्ष क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जोधपुर	3/98 (58)	5
2.	परियोजना समन्वयक (तम्बाकू) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद मुख्यालय	3/98 (64)	11
3.	परियोजना समन्वयक (भू-जल उपयोग) डब्ल्यू एम आर निदेशालय, पटना	3/98 (62)	14
4.	परियोजना समन्वयक (सूरजमुखी) तिलहन अनुसंधान निदेशालय, हैदराबाद	3/98 (59)	14
5.	परियोजना समन्वयक (दियारा भूमि) डी डब्ल्यू एम आर, पटना	3/98 (63)	13
6.	परियोजना समन्वयक (भैंस) सी आई आर बी, हिसार	3/98(56)	6
7.	परियोजना समन्वयक (एफ एम डी) भारतीय पशुचिकित्सा अनुसंधान संस्थान, इज्जतनगर	6/98(142)	3
8.	परियोजना समन्वयक (सुअर) भारतीय पशुचिकित्सा अनुसंधान संस्थान, इज्जतनगर	6/98(143)	5

परिशिष्ट-XIII

(अनुच्छेद 3.6 के अनुसार)

विज्ञापन की अधिसूचना के बाद अर्हता में परिवर्तन

क्रम सं०	पद का नाम	पद की संख्या	विज्ञापन सं०	प्रकाशन की तिथि	टिप्पणी
1.	प्रधान वैज्ञानिक (कृषि में कंप्यूटर का अनुप्रयोग) भा.क.अ.प. मुख्यालय	1	397 (30)	18.10.97	

परिशिष्ट-XIV

(अनुच्छेद 6.1 के अनुसार)

1.4.1998 से 31.3.1999 की अवधि के दौरान विभिन्न विषयों और श्रेणियों में मूल्यांकन किए गए वैज्ञानिकों की सूची

क्र. सं०	दिनांक	विषय	एस-0	एस-1	एस-2	एस-3	एस-4	आर एम पी	योग
1.	27.8.98	पशु आनुवंशिक एवं प्रजनन	-	1	-	-	-	-	1

परिशिष्ट-XV

(अनुच्छेद 6.2 के अनुसार)

1.4.1998 से 31.3.1999 की अवधि के दौरान कृषि अनुसंधान सेवा में प्रवेश के मामले

क्र० सं०	तिथि	विषय	ग्रेड	प्रवेश के लिए योग्य समझे गये वैज्ञानिकों की संख्या	प्रवेश के लिए सिफारिश किये वैज्ञानिकों की संख्या
1.	जून, 98		आर एम पी	1	1
2.	दिसम्बर, 98		आर एम पी	1	1

परिशिष्ट-XVI

(अनुच्छेद 6.3 के अनुसार)

1.4.1998 से 31.3.1999 की अवधि के दौरान विभिन्न विषयों और ग्रेडों में मूल्यांकित किये गये
वैज्ञानिकों की सूची

क्रम सं०	दिनांक	विषय	एस-0	एस-1	एस-2	एस-3	एस-4	आर एम पी	योग
1.	22.3.99	कृषि सांख्यिकी	3	-	-	-	-	-	3

परिशिष्ट-XVII

(अनुच्छेद 7.3 अनुसार)

1.4.1998 से 31.3.1998 तक

मंडल द्वारा विशेषज्ञों को, अध्यक्ष के रूप में नियम 6.6 के अधीन परिषद की तकनीकी सेवा नियमों के तहत और नियम 6.7 के तहत तकनीकी स्टाफ की योग्यता पदोन्नति/अग्रिम वेतन वृद्धि अनुदान के लिए मूल्यांकन समिति के अध्यक्ष और सदस्यों तथा वैज्ञानिकों के कैरियर एडवॉन्समेंट के लिए विभागीय पदोन्नति समिति के अध्यक्ष को मनोनीत किया गया जिसका विवरण इस प्रकार है ।

विवरण में अगले उच्च ग्रेड में वैज्ञानिकों की पदोन्नति के लिए विभागीय पदोन्नति कमेटी के लिए कृ.वै.नि.मं. के अध्यक्ष द्वारा नामित किए गए अध्यक्षों की संख्या दर्शाई गई है ।

क्र० सं०	संस्थान का नाम	नियम 6.6 अध्यक्ष	नियम 6.7 अध्यक्ष	सदस्य	अध्यक्ष
1	2	3	4	5	6
1.	केन्द्रीय मात्स्यिकी प्रौद्योगिकी संस्थान, कोचीन	6	2	3	-
2.	केन्द्रीय बारानी कृषि अनुसंधान संस्थान हैदराबाद	4	5	5	1
3.	केन्द्रीय अंतःस्थलीय प्रग्रहण मात्स्यिकी अनुसंधान अभियांत्रिकी, भोपाल	8	10	15	2
4.	केन्द्रीय अंतःस्थलीय प्रग्रहण मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान, बैरकपुर	2	2	3	2
5.	केन्द्रीय भैंस एवं ऊन अनुसंधान संस्थान, अविकानगर	-	4	6	-
6.	केन्द्रीय भीठा जल जीव जन्तु पालन संस्थान, भुवनेश्वर	-	4	6	-
7.	केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, शिमला	2	-	-	-
8.	केन्द्रीय खारा जल जीव जन्तुपालन संस्थान, मद्रास	2	-	-	2
9.	केन्द्रीय कपास प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, मद्रास	-	-	-	1

1	2	3	4	5	6
10.	केन्द्रीय कंदीय फसले अनुसंधान संस्थान, त्रिरुवन्तपुरम	-	-	-	3
11.	केन्द्रीय रोपण फसले अनुसंधान संस्थान, कासरगौड़	-	4	6	1
12.	केन्द्रीय मत्स्य शिक्षा संस्थान, मुम्बई	-	4	-	2
13.	केन्द्रीय उपोष्ण उद्यान संस्थान, लखनऊ	-	-	-	1
14.	केन्द्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान, इज्जतनगर	2	2	3	2
15.	केन्द्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पोर्ट ब्लेयर	--	2	3	2
16.	केन्द्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान, करनाल	-	2	3	2
17.	केन्द्रीय धान अनुसंधान संस्थान, कटक	14	4	6	1
18.	केन्द्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान, मखदूम	10	-	-	-
19.	केन्द्रीय कपास अनुसंधान संस्थान, नागपुर	2	14	21	2
20.	केन्द्रीय तम्बाकू अनुसंधान संस्थान, राजमुन्दी	4	4	6	1
21.	केन्द्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान, हिसार	2	-	-	1

1	2	3	4	5	6
22.	केन्द्रीय मृदा जल संरक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान, देहरादून	8	-	-	1
23.	केन्द्रीय समुद्री मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान, कोचीन	9	4	6	+1
24.	केन्द्रीय कटाई के बाद की प्रौद्योगिकी इंजीनियरिंग तथा प्रौद्योगिकी संस्थान, लुधियाना	-	-	-	4
25.	केन्द्रीय रुक्ष क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर	-	4	6	-
26.	केन्द्रीय पटसन एवं संबद्ध रेशा अनुसंधान संस्थान, बैरकपुर	8	8	-	1
27.	केन्द्रीय शीतोष्ण बागवानी अनुसंधान संस्थान, श्रीनगर	-	-	-	-
28.	गेहूं अनुसंधान निदेशालय, करनाल	-	-	-	1
29.	धान अनुसंधान निदेशालय, हैदराबाद	-	-	-	1
30.	तिलहन अनुसंधान निदेशालय, हैदराबाद	-	-	-	2
31.	जल प्रबंध अनुसंधान निदेशालय, पटना	-	-	-	1
32.	भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, लखनऊ	2	-	-	-
33.	भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, इज्जतनगर	5	6	16	2

1	2	3	4	5	6
34.	भा.कृ.अ.प. का उ० पूर्वी पर्वतीय अनुसंधान परिसर, बड़ापानी	-	13	18	-
35.	भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान, रांची	-	-	-	-
36.	भा.कृ.अ.प. का अनुसंधान परिसर, गोवा	-	-	-	1
37.	भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली	-	-	-	-
38.	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद मुख्यालय, नई दिल्ली	2	-	-	-
39.	भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, कानपुर	-	2	3	1
40.	भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली	8	-	-	1
41.	भारतीय चरागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान, झांसी	-	-	-	1
42.	भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान, भोपाल	-	-	-	-
43.	भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान, बंगलौर	-	2	3	1
44.	इंडो-यूएस सब परियोजना सोयाबीन प्रोसेस तथा उपयोग, भोपाल	-	-	-	-
45.	राष्ट्रीय पटसन एवं समवर्गी रेशा प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, कलकत्ता	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6
46.	राष्ट्रीय मसाला अनुसंधान केन्द्र, कालीकट	4	-	-	2
47.	राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केन्द्र, इंदौर	-	2	5	1
48.	राष्ट्रीय ज्वार अनुसंधान केन्द्र, हैदराबाद	2	-	-	1
49.	राष्ट्रीय समेकित कीट प्रबंध केन्द्र नई दिल्ली	-	-	-	1
50.	राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण एवं भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो, नागपुर	-	-	-	-
51.	राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान, करनाल	24	16	24	1
52.	राष्ट्रीय खुम्बी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केन्द्र, सोलन	-	-	-	1
53.	राष्ट्रीय पौध आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो नई दिल्ली	12	-	-	1
54.	राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केन्द्र, झांसी	-	-	-	1
55.	राष्ट्रीय मत्स्य आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो लखनऊ	-	-	-	2
56.	राष्ट्रीय खरपतवार विज्ञान अनुसंधान केन्द्र जबलपुर	2	-	-	1

1	2	3	4	5	6
57	राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केन्द्र, बीकानेर	-	2	4	2
58.	राष्ट्रीय नीबू वर्गीय अनुसंधान केन्द्र, नागपुर	-	-	-	1
59.	राष्ट्रीय मूंगफली अनुसंधान केन्द्र, जूनागढ़	-	-	-	-
60.	राष्ट्रीय याक अनुसंधान केन्द्र, दिरांग	-	-	-	-
61.	राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो 2 करनाल	-	-	-	-
62.	राष्ट्रीय मांस अनुसंधान केन्द्र, इज्जतनगर	-	-	-	-
63.	राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केन्द्र, हिसार	-	-	-	1
64.	राष्ट्रीय ठंडा जल मत्स्य अनुसंधान केन्द्र, हल्द्वानी	-	-	-	-
65.	राष्ट्रीय कृषि आर्थिकी एवं नीति अनुसंधान केन्द्र, नई दिल्ली	-	-	-	1
66.	राष्ट्रीय आर्किड अनुसंधान केन्द्र, गंगटोक	-	-	-	1
67.	राष्ट्रीय तोरिया-सरसो अनुसंधान केन्द्र, भरतपुर	4	-	-	2

1	2	3	4	5	6
68	राष्ट्रीय सगंधीय एवं औद्योगिक पौधे अनुसंधान केन्द्र, आनन्द	2	-	-	1
69.	राष्ट्रीय केला अनुसंधान केन्द्र, तिरुचिरापल्ली	-	-	-	2
70	राष्ट्रीय प्याज एवं लहसुन अनुसंधान केन्द्र, गोदरा	-	-	-	-
71.	राष्ट्रीय तेलताड़ अनुसंधान केन्द्र, पदवेगी गांव	-	-	-	-
72.	राष्ट्रीय द्राक्ष अनुसंधान केन्द्र, पुणे	-	-	-	-
73.	राष्ट्रीय शुष्क उद्यान अनुसंधान केन्द्र, बीकानेर	2	-	-	-
74.	राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंध अकादमी हैदराबाद	2	-	-	-
75.	फसल प्रणाली अनुसंधान परियोजना निदेशालय मोदीपुरम	2	-	-	-
76.	जैव नियंत्रक परियोजना निदेशालय बंगलौर	2	-	-	-
77.	भूगर्भीय परियोजना निदेशालय, हैदराबाद	-	-	-	-
78.	सब्जी अनुसंधान परियोजना निदेशालय वाराणसी	5	-	-	2
79.	पशु परियोजना निदेशालय, मोदीपुरम	2	-	-	1

1	2	3	4	5	6
80.	गन्ना प्रजनन संस्थान, कोयम्बटूर	-	-	-	1
81.	विविकानन्द पर्वतीय कृषि अनुसंधानशाला, अल्मोड़ा	2	-	-	1
82.	पूर्वी क्षेत्र के लिए जल प्रौद्योगिकी केन्द्र भुवनेश्वर	2	2	3	-
83.	प्रौद्योगिकी हस्तांतरण परियोजना के लिए क्षेत्रीय समन्वयक एकक (क्षेत्र V), हैदराबाद	-	-	-	-
84.	प्रौद्योगिकी हस्तांतरण परियोजना के लिए क्षेत्रीय समन्वयक एकक (क्षेत्र II), कलकत्ता	-	-	-	-
85.	प्रौद्योगिकी हस्तांतरण परियोजना के लिए क्षेत्रीय समन्वयक एकक (क्षेत्र II), कलकत्ता	-	-	-	-
86.	प्रौद्योगिकी हस्तांतरण परियोजना के लिए क्षेत्रीय समन्वयक एकक (क्षेत्र VII), जबलपुर	-	-	-	-
87.	राष्ट्रीय मिथुन अनुसंधान केन्द्र, झरनापानी नागालैंड	-	-	-	-
88.	प्रौद्योगिकी हस्तांतरण परियोजना, बंगलौर	-	-	-	-
89.	क्षेत्रीय समन्वयक यूनिट क्षेत्र I, पंजाब कृषि विश्वविद्यालय परिसर, लुधियाना	-	-	-	-
90.	राष्ट्रीय पशु पोषण एवं शरीरक्रिया संस्थान, बंगलौर	-	-	-	2
91.	राष्ट्रीय काजू अनुसंधान केन्द्र, पुत्तर	4	-	-	-
	कुल =	175	122	171	76